AXIS BANK

स्वीकृति पत्र

समूह की ID
तारीख
स्वीकृति तारीख
प्रति,

आवेदक संख्या	ऐप ID	नाम

ग्राम तालुका जिला

समस्त,
विषय : JLG सदस्य को टर्म क्रेडिट सुविधा की स्वीकृति
आपके आवेदन-दिनांक
के संदर्भ में, हमें आपको निम्नलिखित नियमों और शर्तों के अनुसार उत्पादन ऋण सुविधा की स्वीकृति देते हुए प्रसन्नता हो रही है।
ऋण की धनराशि:
सुविधा मध्यावधि ऋण

सं.	ऋणकर्ता का नाम	सीमा रुपये में	प्रयोजन	ब्याज दर (ROI%)
कालावधि: ___ Monthly किश्त संवितरण के बाद				
पुनर्भुगतान निश्चित समान किश्त				

प्रत्येक सदस्य जेएलजी के प्रत्येक अन्य सदस्य द्वारा लिए गए ऋणों के पूर्णभुगतान की गारंटी देने के लिए सहमत है।
यह पत्र मंजूरी की तारीख से 30 दिनों के लिए या बैंक के आंतरिक दिशानिर्देशों के अनुसार वैध होगा
बैंक अपने विवेकाधिकार पर प्रत्येक उधारकर्ता को दी गई ऋण सुविधाओं के संबंध में ऐसी जानकारी को ऐसी संस्था (ओं) को प्रकट कर सकता है।

KANCHAN KUMAR NITISH
आपका विश्वासपात्र,

माइक्रोफाइनेंस बिजनेस लीड शाखा:
हम उपरोक्त नियमों और शर्तों को स्वीकार करते हैं

ऋणकर्ताओं के हस्ताक्षर/अंगूठे का निशान 1 Digitally Signed by: Name:Ms. Aarti Devi Date:Wed Jul 09 10:36:43 IST 2025 AADHAAR	ऋणकर्ताओं के हस्ताक्षर/अंगूठे का निशान 2	ऋणकर्ताओं के हस्ताक्षर/अंगूठे का निशान 3
ऋणकर्ताओं के हस्ताक्षर/अंगूठे का निशान 4	ऋणकर्ताओं के हस्ताक्षर/अंगूठे का निशान 5	ऋणकर्ताओं के हस्ताक्षर/अंगूठे का निशान 6
ऋणकर्ताओं के हस्ताक्षर/अंगूठे का निशान 7	ऋणकर्ताओं के हस्ताक्षर/अंगूठे का निशान 8	ऋणकर्ताओं के हस्ताक्षर/अंगूठे का निशान 9
ऋणकर्ताओं के हस्ताक्षर/अंगूठे का निशान 10		

DEMAND PROMISSORY NOTE

(ऋण की धनराशि) रु ______ मांगे जाने पर, हम, जिनकी समूह ID निम्न है ______

आवेदक संख्या	ऐप ID	नाम

एक्सिस बैंक लिमिटेड या आदेश, रुपये की समूह ऋण राशि का भुगतान करने का वादा ______/-

______ केवल

ऋण पर ब्याज के साथ ऋण की पूरी अवधि के लिए मान्य होगा.

रसीदी टिकट

Digitally Signed by:
Name:Ms. Aarti Devi
Date:Wed Jul 09 10:36:43 IST 2025

AADHAAR

ऋणकर्ताओं के हस्ताक्षर/अंगूठे का निशान 1

ऋणकर्ताओं के हस्ताक्षर/अंगूठे का निशान 2

ऋणकर्ताओं के हस्ताक्षर/अंगूठे का निशान 3

ऋणकर्ताओं के हस्ताक्षर/अंगूठे का निशान 4

ऋणकर्ताओं के हस्ताक्षर/अंगूठे का निशान 5

ऋणकर्ताओं के हस्ताक्षर/अंगूठे का निशान 6

ऋणकर्ताओं के हस्ताक्षर/अंगूठे का निशान 7

ऋणकर्ताओं के हस्ताक्षर/अंगूठे का निशान 8

ऋणकर्ताओं के हस्ताक्षर/अंगूठे का निशान 9

ऋणकर्ताओं के हस्ताक्षर/अंगूठे का निशान 10

स्थान ______ तारीख ______

D.P. डी.पी. नोट वितरण सह छूट पत्र

एक्सिस बैंक लिमिटेड

महोदय,

की सामूहिक ऋण राशि के लिए संलग्न मांग वचन पत्र दिनांक ____ की सुपुर्दगी लें ____

कृपया रु. ____

के साथ हमारे द्वारा ____ रुपये बनाए गए

मैं/हम उपरोक्त मांग वचनबद्धता पत्र को प्रस्तुत करने के मेरे/हमारे अधिकारों का भी परित्याग करते हैं। इसके अलावा हम आपसे यह नोट करने का अनुरोध करते हैं कि हमने नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट, 1881 की धारा 98(ए) के अंतर्गत अनादरण नोटिस दी है और मांग पर हमारे द्वारा भुगतान नहीं किए जाने की स्थिति में Axis Bank Ltd. को, हमें दायित्व से मुक्त किए बिना हमें भुगतान के लिए समय देने की स्वतंत्रता होगी।

उक्त मांग वचनबद्धता पत्र आपके लिए एक सतत प्रतिभूति के रूप में कार्य करेगा, जो दी गई क्रेडिट सुविधा के अंतर्गत अंतिम शेष धनराशि या अभी या बाद में बकाया समस्त धनराशियों के पुनर्भुगतान के लिए लागू किया जा सकेगा, और मैं/हम उक्त मांग वचनबद्धता पत्र के लिए इस तथ्य के बावजूद उत्तरदायी रहेंगे कि समय-समय पर ऋण खाते में भुगतान किए जाने के बावजूद समय-समय पर क्रेडिट सुविधा कम या समाप्त की जा सकती है या उक्त खाते की शेष धनराशि (यां) क्रेडिट पर हो सकती हैं।

Digitally Signed by: *Name:Ms. Aarti Devi* *Date:Wed Jul 09 10:36:43 IST 2025* उधारकर्ताओं 1	उधारकर्ताओं 2	उधारकर्ताओं 3
उधारकर्ताओं 4	उधारकर्ताओं 5	उधारकर्ताओं 6
उधारकर्ताओं 7	उधारकर्ताओं 8	उधारकर्ताओं 9
उधारकर्ताओं 10		

स्थान ____ तारीख ____

संयुक्त देयता समूह (JLG) अनुबंध

तारीख समूह की ID

ग्राम

ऋण की धनराशि: रु.

(कृपया रु. केवल)

ऋण अवधि (Months):

उधारकर्ताओं 1

नाम

ऐप ID W/O

ऋण धनराशि ऋण का प्रयोजन

JLG ऋण अनुबंध के नियम और शर्तें

1. ऋण के स्वीकृति: ऋणकर्ताओं और गारंटरों (ऊपर सूचीबद्ध) में से प्रत्येक के अभ्यावेदन के आधार पर, और ऋणकर्ताओं और गारंटीकर्ताओं द्वारा सभी नियमों और शर्तों के अनुपालन के अधीन,एक्सिस बैंक लिमिटेड प्रत्येक उधारकर्ता को उधार देगा और एक्सिस बैंक लिमिटेड ऋण से 'संयुक्त देयता समूह ऋण' के तहत रु. [ ] ('मूलधन') की राशि उधार लेने के लिए सहमत है।
2. ब्याज दर: प्रभावी ब्याज दर% प्रति वर्ष। ऋण की पूरी अवधि के लिए मान्य होगा।
3. ब्याज दर: मुझे/हमें सूचित कर दिया गया है की हमारे ईएमआई(EMI) और अन्य पूर्णभुगतान/भार का पूर्णभुगतान मासिक/साप्ताहिक/पाक्षिक आधार पर होगा और _______________ से शुरू होकर प्रत्येक मासिक/साप्ताहिक/पाक्षिक के _______________पर देय होगा। ब्याज दर यथावत __________ भावी ब्याज दर% संवितरित ऋण के पूर्ण अविध के लिए मान्य होगा। पूर्णभुगतान मुझे/हमें सूचित किया गया है की हमरे EMI और अन्य पूर्णभुगतान /भार का पूर्णभुगतान मासिक शेष राशि के आधार पर होगा और निम्न से शरूु प्रत्येक माह मे देय होगा। मैं/ हम इसे समझते है की अगर मैं/हम उपरोक्त तारीख को अपनी EMI का भुगतान नहीं करते है, तो उस तारीख के अंत से मेरे/हमारे खाते को 'अितदेय' माना जाएगा। जब तक के एक्सिस बैंक लिमिटेड द्वारा पूर्णभुगतान के लिए पहले से मांग नहीं की जाती है, मुलधन और ब्याज और लागत और शूल्क के अलावा कोई ("जेएलजी ऋण") देय संबंधित ऋणदाता की ओर् से इस समझौते के निष्पादन/जेएलजी ऋण के सवितरण के तारीख के बाद से चुकाया जाएगा। समस्त पूर्णभुगतान के पहले JLG ऋण का लागत, भार, ब्याज और शेष धनराशि पर लागू हगे। JLG ऋण के लिए पूर्णभुगतान अविध का कोई विस्तार एक्सिस बैंक लिमिटेड के ववेकाधीन होगा।
4. गारंटी दायित्व: इस समझौते के तहत इस समूह के प्रत्येक और प्रत्येक अन्य उधारकर्ता द्वारा प्राप्त की गई जी.एल.जी. ऋण की ("समूह गारंटी") एक साथ और अलग-अलग रूप से,अविश्वासनीय और अपरिपरिणामी रूप से गारंटी देते हैं। प्रत्येक उधारकर्ता साझा और अलग-अलग रूप से उस जी.एल.जी. ऋण को वापस करने का वादा करता है और यहां स्पष्ट रूप से लेन-देन के पूरी जानकारी होने की पुष्टि करता है। सभी पक्ष यहां इस समझौते की शर्तों और गुणवत्ता का पालन करने और बाध्य रहने के लिए सहमत होते हैं, इसके बाद हर समय। हर उधारकर्ता द्वारा जी.एल.जी. ऋण का पूर्ण प्रति-चुकाना किया जाने तक, किसी भी तरीके से इस समझौते के अंतर्गत अपने कर्तव्यों से किसी भी प्रकार का छूट नहीं मिलेगी, चाहे फिर वो सभी या किसी भी उधारकर्ता के जी.एल.जी. ऋण के पूर्व-बंद, पूर्व-भुगतान, या जी.एल.जी. ऋण के पुनः आवंटन की हो।
5. संग्रह प्राप्तियाँ: ग्राहक द्वारा बैंक को किए गए सभी भुगतान डिजिटल/भौतिक रसीद के माध्यम से प्राप्त किए जाएंगे। उधारकर्ताओं से किए गए किसी भी दावों को डिजिटल/भौतिक रसीद के समर्थन में प्रस्तुत किया जाना होगा। इस प्रकार के सबूत की अनुपस्थिति में, कोई दावा मान्य नहीं किया जाएगा
6. अभ्यावेदन: समस्त ऋणकर्ता संयुक्त रूप से और पृथक रूप से एक्सिस बैंक लिमिटेड के समक्ष यह अभ्यावेदित करते हैं, पुष्टि करते हैं, और अभिस्वीकृत करते हैं कि:

   a. प्रत्येक निजी रूप से संविदा के लिए पात्र हैं और यह कि ऋणकर्ता JLG ऋण प्राप्त करने के लिए पात्र है।;
   b. JLG ऋण का किसी अवैध, गैरकानूनी या अनैतिक उद्देश्यों या गतिविधियों के लिए उपयोग नहीं किया जाना सुनिश्चित किया जाएगा।;
   c. वे एक समूह के रूप में समस्त गतिविधियों में भाग लेंगे और समूह के लिए समस्त दायित्वों का एक्सिस बैंक लिमिटेड द्वारा निर्दिष्ट विधि से पालन करेंगे। किसी स्थिति में एक्सिस बैंक लिमिटेड की पूर्व सहमति के बिना समूह का कोई पुनर्गठन नहीं किया जाएगा। एक्सिस बैंक लिमिटेड के पूर्ण विवेकानुसार, और समूह के सदस्यों की सहमति से, एक्सिस बैंक लिमिटेड के किसी अन्य सदस्य को जोड़कर या कार्यमुक्त करके समूह का पुनर्गठन किया जा सकता है।

7. जानकारी साझा/प्रदान करने का अधिकार: उधारकर्ता यहाँ पर स्पष्ट रूप से अधिकारित करता है कि एक्सिस बैंक लिमिटेड और उसके एजेंट्स को उधारकर्ता के ऋण सूचना, समाजिक इतिहास सहित,संबंधित सभी जानकारी, डेटा या दस्तावेजों का विनिमय, साझा करने या प्राप्त करने का अधिकार है एक्सिस बैंक लिमिटेड/ बैंकों/ वित्तीय संस्थानों/ क्रेडिट सूचना कंपनियों (सीआईसी)/ एजेंसियों/ विधि निकायों/ कर अधिकारियों/ केंद्रीय सूचना ब्यूरो/ अनुसंधान साथीयों और एक्सिस बैंक लिमिटेड के द्वारा आवश्यक माना जाने वाले अन्य व्यक्तियों के साथ, जब आवश्यक हो, साझा कर सकता है। उधारकर्ता इस जानकारी का उपयोग करने के लिए एक्सिस बैंक लिमिटेड को जिम्मेदार नहीं मानेगा
8. ऋणकर्ताओं एतदद्वारा बैंक/ऋणदाता को संबंधित विनियमों/नियमों के साथ पठित यथासंशोधित और समय-समय पर प्रवर्तित और समय-समय पर यथानिर्दिष्ट अनुसार दिवाला और दिवालियापन संहिता,2016 (संक्षेप में 'संहिता') की धारा 3 (13) में परिभाषित किए गए अनुसार बैंक/ ऋणदाता से समय-समय पर प्राप्त क्रेडिट /वित्तीय सुविधाओं के संदर्भ में किसी 'सूचना उपयोगिता' को (सक्षेप में 'IU') जैसा संहिता की धारा 3 (21) में निर्दिष्ट है, सहिता के अंतर्गत निर्धारित प्रासगिक विनियमों, और भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा समय-समय पर बैंकों के लिए जारी दिशानिर्देशों के अनुरूप,'वित्तीय जानकारी' का खुलासा/प्रस्तुत करने के लिए विशिष्ट सहमति देता है और एतदद्वारा बैंक/ ऋणदाता द्वारा दाखिल की गई 'वित्तीय जानकारी को तत्परता से प्रमाणित करने के लिए,जैसा और जब संबंधित 'IU' द्वारा अनुरोध किया जाए विशेषरूप से सहमति प्रदान करता है
9. गारंटरों एतदद्वारा बैंक/ऋणदाता को संबंधित विनियमों/नियमों के साथ पठित यथासंशोधित और समय-समय पर प्रवर्तित और समय-समय पर यथानिर्दिष्ट अनुसार दिवाला और दिवालियापन संहिता, 2016 (संक्षेप में 'संहिता') की धारा 3 (13) में परिभाषित किए गए अनुसार, दी गई गारंटियों, बैंक/ ऋणदाता से ऋणकर्ता द्वारा क्रेडिट/वित्तीय सुविधाए प्राप्त करने के लिए निर्मित प्रतिभूतियों, के संदर्भ में किसी 'सूचना उपयोगिता' को (सक्षेप में ' IU') जैसा संहिता की धारा 3 (21) में निर्दिष्ट है, सहिता के अंतर्गत निर्धारित प्रासगिक विनियमों, और भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा समय-समय पर बैंकों के लिए जारी दिशानिर्देशों के अनुरूप, 'वित्तीय जानकारी' का खुलासा/प्रस्तुत करने के लिए विशिष्ट सहमति देता है और एतदद्वारा बैंक/ ऋणदाता द्वारा दाखिल की गई 'वित्तीय जानकारी को तत्परता से प्रमाणित करने के लिए, जैसा और जब संबंधित 'IU' द्वारा अनुरोध किया जाए विशेषरूप से सहमति प्रदान करता है
10. सभी उधारकर्ता और गारंटर समझते हैं कि ऋण/अग्रिम/अन्य फंड आधारित और/या गैर-फंड आधारित क्रेडिट सुविधाओं के प्रदान के संबंध में, संबंधित उधारकर्ताओं के लिए बैंक को उधारकर्ताओं और गारंटरों की सहमति की आवश्यकता है कि बैंक द्वारा, उधारकर्ताओं और गारंटरों के संबंधित जानकारी और डेटा की खुलासा के लिए। उधारकर्ताओं द्वारा धारित/धारण किए जाने वाले कर्तव्य,इसके संबंध में और उधारकर्ताओं द्वारा की गई कोई भी चूक, जिसके अधीन किसी भी उधारकर्ता द्वारा किया जाता है, के खिलाफ

a) तदनुसार, सभी ऋणकर्ता और गारंटरों, एतद्वारा सहमत हैं और बैंकों द्वारा सभी या इनमें से किसी भी के प्रकटीकरण के लिए सहमति देते हैं
• हमसे संबंधित जानकारी और डेटा
• हमारे द्वारा प्राप्त की गई/प्राप्त की जाने वाली किसी क्रेडिट सुविधा से संबंधित जानकारी या डेटा और
• हमारे ऐसे दायित्वों के निर्वहन में हमारे द्वारा की गई कोई चूक, यदि कोई हो, के बारे में जैसा बैंक द्वारा क्रेडिट सूचना कंपनियों (CIC) के समक्ष तथा RBI द्वारा इस संबंध में अधिकृत किसी अन्य एजेंसी के समक्ष प्रकटित और प्रस्तुत करना अनिवार्य पाया जाए।

b) हम घोषणा करते हैं कि हमारे द्वारा बैंक के समक्ष प्रस्तुत जानकारी और डेटा सत्य और सही हैं।

c) हम, यह वचन देते हैं कि:
• क्रेडिट जानकारी कंपनियां (CIC), और कोई अन्य एजेंसी जिसे प्राधिकृत किया गया हो, बैंक द्वारा प्रकटित उक्त जानकारी और डेटा का उस प्रकार उपयोग, प्रोसेस कर सकती है, जैसा उनके द्वारा उपयुक्त पाया जाए, और
• क्रेडिट सूचना कंपनियां (CIC) और कोई अन्य एजेंसी, जिसे प्राधिकृत किया गया हो, प्रोसेस की गई जानकारी और डेटा या उनके द्वारा तैयार किए गए उत्पादों को बैंकों /FI और अन्य क्रेडिट प्रदाताओं या रजिस्टर्ड उपयोक्ताओं के समक्ष प्रतिफल के बदले प्रस्तुत कर सकती है, जैसा इस संबंध में रिजर्व बैंक द्वारा निर्दिष्ट किया जा सकता है।

11. ऋण राशि का ______ या @______: एक्सिस बैंक लिमिटेड को किसी समय अपने विवेकानुसार किन्हीं ऋण धनराशि/सुविधाओं की वापसी के लिए कोई कारण बताए बिना इन्हें वापस लेने का अधिकार होगा। इस तरह की किसी वापसी पर, एक्सिस बैंक लिमिटेड द्वारा निर्धारित मूलधन, ब्याज और अन्य समस्त धनराशियों का भुगतान, एक्सिस बैंक लिमिटेड द्वारा इस तरह की वापसी की तारीख से 15 दिनों के अंदर ऋणकर्ता द्वारा देय होगा।
12. नियम और शर्तों में परिवर्तन: एक्सिस बैंक लिमिटेड को, अन्य के अलावा ब्याज दर, आवधिकता अंतराल आदि किन्हीं शर्तों में बिना कोई कारण बताए संशोधन या परिवर्धन करने के लिए, पूर्ण विवेकाधिकार प्राप्त होगा, बशर्ते कि पक्षों को इस तरह के बदलाव के बारे में विधिवत सूचित किया गया हो। संशोधित शर्तों के बारे में एक्सिस बैंक लिमिटेड के कार्यालय में स्थित नोटिस बोर्ड पर या एक्सिस बैंक लिमिटेड द्वारा निर्धारित किसी अन्य प्रकार से सूचना को वैध और प्रभावी सूचना माना जाएगा। एतदद्वारा यह स्पष्ट रूप से उल्लेखित है कि एक्सिस बैंक लिमिटेड द्वारा अपने पूर्ण विवेकानुसार इस अनुबंध के अंतर्गत किसी पक्ष के किन्हीं या समस्त के दायित्वों का निर्वहन या परिवर्तन किए जाने की स्थिति में एक्सिस बैंक लिमिटेड द्वारा इस तरह के निर्वहन से अन्य पक्षों को इस अनुबंध के अंतर्गत उनके दायित्वों से छूट प्राप्त नहीं होगी।
13. ऋणकर्ताओं मूलधन, ब्याज और किसी भी लागत और शुल्क, जो इस तरह के पूर्व-समापन के समय बकाया हो सकता है, को चुका कर ऋण को पूर्व-समाप्त करने का हकदार होगा और शेष अवधि के लिए कोई ब्याज देय और भुगतान योग्य नहीं होगा
14. बकाया राशि की गणना: एक्सिस बैंक लिमिटेड द्वारा बनाए गए रिकॉर्ड और एक्सिस बैंक लिमिटेड के एक अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित एक लिखित प्रमाणपत्र ऋणकर्ताओं की बकाया राशि के संपूर्ण सबूत होंगे। यदि उक्त गणना के संबंध में किसी विवाद/मतभिन्न होता है, तो उधारकर्ता को अधिकार नहीं होगा कि वह एक्सिस बैंक लिमिटेड द्वारा मांगी जाने वाली लेन-देन को रोक सके।
15. निस्तारण: एक्सिस बैंक लिमिटेड को किसी लागू कानून के अंतर्गत निस्तारण हेतु प्राप्त समस्त अधिकारों और उनकी सीमाओं के अतिरिक्त, और चाहे एक्सिस बैंक लिमिटेड ने कोई मांग की हो या नहीं या ऋणकर्ता के दायित्व परिपक्व हो गए हों, एक्सिस बैंक लिमिटेड को एक्सिस बैंक लिमिटेड या उसके समूह की किन्हीं संस्थाओं के पास प्रत्येक ऋणकर्ताओं की संयुक्त रूप से तथा पृथक रूप से मौजूद धनराशियों के सापेक्ष निस्तारण या समायोजन का अधिकार प्राप्त होगा और संबंधित पक्ष एक्सिस बैंक लिमिटेड को ऋणकर्ताओं के ऐसे खातों से डेबिट करने के लिए अधिकृत करते हैं।)

16. समाप्ति: एक्सिस बैंक लिमिटेड को इस समझौते को समाप्त करने, समूह गारंटी को प्रारंभ करने, और/या जी.एल.जी. ऋण के सभी या किसी भी हिस्से को समाप्त करने का अधिकार है,लेकिन अनिवार्यता नहीं है, निम्नलिखित घटनाओं में से किसी भी में: यदि उधारकर्ताओं में से कोई भी एक भी उधारकर्ता किसी डिफ़ॉल्ट की घटना करता है। उधारकर्ताओं को माना जाएगा कि उन्होंने आंतरिक रूप से निम्नलिखित किसी भी घटना(जिसे इसके बाद 'डिफ़ॉल्ट की घटना' के रूप में संदर्भित किया गया है) को किसी कदम की तरह किया है

a. अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित घटनाओं में से किसी एक या अधिक के घटित होने पर ऋणकर्ताओं को चूक का कार्य किया हुआ माना जाएगा (इसके बाद इसे 'डिफ़ॉल्ट की घटना' कहा जाएगा):

i. यदि कोई भी उधारकर्ता इस समझौते की शर्तों और गुणवत्ता और/या सभी या किसी को एक किस्म की भंग या डिफ़ॉल्ट करता है और/या एक्सिस बैंक लिमिटेड को किसी भी प्रकार की गड़बड़ी होती है: या
ii. यदि कोई भी उधारकर्ता ऐसी कोई जानकारी या दस्तावेज नहीं प्रस्तुत करता है जो एक्सिस बैंक लिमिटेड के द्वारा आवश्यक हो सकते हैं; या
iii. अन्य कोई परिस्थिति मौजूद है, जो केवल एक्सिस बैंक लिमिटेड की मान्यता में, बैंक के हितों को खतरे में डालती है

17. प्राधिकरण / आवंटन: समस्त ऋणकर्ता स्पष्ट रूप से यह अभिस्वीकृत करते हैं और स्वीकार करते हैं कि एक्सिस बैंक लिमिटेड स्वयं या अपने अधिकारियों या कर्मचारियों के माध्यम से ऐसी गतिविधियों को करने के अपने अधिकार को प्रतिकूल प्रभावित किए बिना, हकदार होगा और एक या अधिक तृतीय पक्षों को नियुक्त करने का पूर्ण शक्ति और प्राधिकार प्राप्त होगा, जैसा एक्सिस बैंक लिमिटेड द्वारा चयनित किया जा सकता हो, और वह किसी ऋण के प्रशासन के संबंध में इस अनुबंध के अंतर्गत अपने समस्त या किन्हीं प्रकार्यों, अधिकारों और शक्तियों को एसे तृतीय पक्ष को सौंपने का अधिकारी होगा, जिनमें एक्सिस बैंक लिमिटेड की ओर से ऋणकर्ता से किसी भुगतान को, ऋणकर्ता द्वारा इस संबंध में हस्ताक्षरित किन्हीं और समस्त अनुबंधों के अंतर्गत देय किन्हीं भुगतानों और अन्य धनराशियों को संकलित करने और प्राप्त करने, और नोटिस भेजने, ऋणकर्ताओं के निवास या कार्यालय में उपस्थित होने या ऋणकर्ताओं से अन्य प्रकार से संपर्क करने सहित समस्त कानूनी कृत्यों, कार्यों, मामलों और उससे जुड़ी चीजों को निष्पादित करने और संपन्न करने के लिए का अधिकार और प्राधिकार भी सम्मिलित है। इसके अतिरिक्त, समस्त ऋणकर्ता स्पष्ट रूप से यह अभिस्वीकृत करते हैं कि पोर्टफोलियो की बिक्री के माध्यम से या अन्य प्रकार से, किसी अन्य व्यक्ति को इस अनुबंध को सौंपने और ऋणकर्ता को पूर्व या बाद में सूचित किए जाने या उससे अनुमोदन लिए जाने की अपेक्षा के बिना ऐसे लेनदेन अनुमोदित और प्राधिकृत करने के लिए एक्सिस बैंक लिमिटेड के पास विकल्प होगा।
18. प्रोसेसिंग प्रभार ऋणकर्ता, रू. 50,000 से अधिक कुल स्वीकृत धनराशियों का 1.49% तक (GST सहित) (निकटतम रुपए में पूर्णांकित करना) एकमुश्त अप्रतिदेय प्रोसेसिंग शुल्क के रूप में भुगतान करने हेतु सहमत है। वितरण के दौरान प्रोसेसिंग शुल्क की कटौती की जाएगी और ग्राहक को शेष राशि प्रदान की जाएगी।
19. GST: समस्त प्रभारों और शुल्कों (जहां भी GST लागू हो) पर लागू दरों के अनुसार माल एवं सेवा कर (GST) अतिरिक्त प्रभारित किया जाएगा।
20. बीमा प्रीमियम ऋणकर्ता स्वीकृत ऋण राशि के सापेक्ष ऋण अवधि के समान अवधि के लिए स्वयं या अपने पति या पत्नी या दोनों के लिए बीमा प्राप्त करने का विकल्प चुन सकता है। बीमा प्रीमियम, अगर चुना जाता है, तो स्वीकृत धनराशि से, वितरण के दौरान तदनुसार (निकटतम रुपए में पूर्णांकित करना) काट लिया जाएगा और शेष धनराशि ऋणकर्ता को सौंप दी जाएगी।
21. हमें एक्सिस बैंक लिमिटेड द्वारा _____ बीमा कंपनी की लाइफ शील्ड पॉलिसी के तहत जीवन बीमा कवर के बारे में सूचित किया गया है। हम जानते हैं कि बीमित राशि और अवधि। मैं एतद्द्वारा ऐक्सिस बैंक को लाइफ शील्ड के तहत मुझे/हमें कवरेज देने के लिए अपनी सहमति देता हूं- एक्सिस बैंक द्वारा अपने माइक्रोलोन ग्राहकों को कवर करने के लिए ली गई एक समूह टर्म लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी। मैं बिना शर्त सहमत हूं और एक्सिस बैंक लिमिटेड के पक्ष में पुष्टि करता हूं। मेरी मृत्यु पर मेरे बीमा दावे के आवेदन को संसाधित करने और दावा राशि प्राप्त करने के लिए और इसे मेरे बकाया ऋण के लिए समायोजित करें और शेष राशि का भुगतान मेरे नामित/कानूनी उत्तराधिकारी/लाभार्थी को करें।
22. मैं इसके द्वारा ____________ लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड को क्रेडिट अकाउंट स्टेटमेंट (मास्टर पॉलिसी धारक द्वारा प्रदान की जाने वाली) में दिए गए बकाया ऋण की शेष राशि का भुगतान करने के लिए अधिकृत करता हूं, एक्सिस बैंक लिमिटेड ("मास्टर पॉलिसी धारक") को, द्वारा लिए गए ऋण के संबंध में मुझे मास्टर पॉलिसीधारक (जिसकी आवेदन संख्या यहां उल्लिखित है) से, बीमित घटना के होने पर इस समूह पॉलिसी के तहत मेरे नामिती/लाभार्थी को देय दावा आय से घटाकर।
23. कृपया ध्यान दें कि बैंक द्वारा नियुक्त बीमा साझेदारों (ऐसे बीमा साझेदारों) से बीमा योजना आपकी सुविधा के लिए उपलब्ध कराई जाती है और यदि आप इसे चुनते हैं, तो हम आपकी सहायता कर सकते हैं। चुनी गई योजना का नामांकन। यह स्पष्ट किया जाता है कि ऐसे बीमा साझेदारों से बीमा कवर की खरीद स्वैच्छिक/वैकल्पिक होगी और यह आपके बैंक से किसी भी उत्पाद/सेवाओं की प्राप्ति से जुड़ी नहीं है ऐसे बीमा भागीदार(ओं) या किसी अन्य बीमा प्रदाता से बीमा कवर प्राप्त करना चुन सकते हैं।
24.सामान्य उपबंध:

a. इसके अतिरिक्त समस्त ऋणकर्ता संयुक्त रूप से और निजी रूप से और एतद्द्वारा अभ्यावेदित करते हैं और पुष्टि करते हैं कि किसी अनुबंध / आवेदन / और संचार में और संबंधित मूल्यांकन प्रपत्र और इस संबंध में विभिन्न अन्य दस्तावेजों में किसी भी समय प्रदान की जाने वाली समस्त जानकारी सत्य है और होगी, जिसे समस्त प्रकार से सही और अद्यतन किया गया है और कुछ भी नहीं रोका गया है या रोका नहीं जाएगा और जानकारी में कोई परिवर्तन होने की स्थिति में तुरंत एक्सिस बैंक लिमिटेड को सूचित करना उनका दायित्व होगा।
b. उत्तराधिकारी एवं आवंटी: एक्सिस बैंक लिमिटेड के समस्त संदर्भों में, ऋणकर्ताओं में, जहां भी संदर्भ में उस प्रकार अपेक्षित हो, इसके/उनके उत्तराधिकारी, आवटी और/या उत्तराधिकारी सम्मिलित होंगे।
c. गंभीरता किसी शब्द, वाक्यांश, खंड, पैराग्राफ, प्रतिबंध, संधि, अनुबंध या अन्य प्रावधानों की अमान्यता या अप्रवर्तनीयता किसी भी प्रकार से किसी अन्य प्रावधान या उसके किसी भाग की वैधता या प्रवर्तन को प्रभावित नहीं करेगी।

25. एक्सिस बैंक की वेबसाइट पर प्रकाशित रिटेल माइक्रोफाइनेंस के लिए कोई उचित आचरण संहिता, ऋण पर लागू नहीं होगी। रिटेल माइक्रोफाइनेंस के लिए उचित आचरण संहिता की प्रति, जो कि बैंक की वेबसाइट पर उपलब्ध है: "https:/ /www.axisbank.com/docs/default-source/default-document-library/fpc-retail-microfinance-21-4-21.pdf"losure charge.
26. शासी कानून और न्यायाधिकार क्षेत्र: यह अनुबंध, भारत गणराज्य के कानूनों द्वारा शासित, और उनके अनुसार अन्वित और व्याख्यायित किया जाएगा। इस अनुबंध के अस्तित्व, वैधता या समाप्ति सहित इसकी व्याख्या, आवेदन या प्रदर्शन से उत्पन्न या उसके संबंध में कोई मतभेद, विवाद या दावा विवाचन और सुलह अधिनियम, 1996 के अनुरूप Axis Bank Ltd. द्वारा नामित एकमात्र विवाचक के माध्यम से, अंतिम और बाध्यकारी विवाचन द्वारा निस्तारित किया जाएगा। विवाचन का स्थान मुंबई होगा और कार्यवाही में अंग्रेजी भाषा का प्रयोग किया जाएगा। भारत के ___________न्यायालय को इस अनुबंध की वैधता, प्रवर्तनीयता और व्याख्या के प्रश्नों के संबंध मेंअधिकार क्षेत्र प्राप्त होगा।
27. अवधि यह अनुबंध, JLG ऋण की स्वीकृति और/या वितरण की तारीख से शुरू होगा, और ऋणकर्ता द्वारा समस्त JLG ऋण का पुनर्भुगतान कर दिए जाने तक या एक्सिस बैंक लिमिटेड द्वारा पूर्वसमाप्त किए जाने तक प्रभावी रहेगा। इसके अलावा यह विशेष रूप से उल्लेखित है कि किन्हीं भी परिस्थितियों में इस अनुबंध की समाप्ति, पक्षों के बीच सहमतिप्राप्त किसी अन्य अनुबंध के अंतर्गत किसी नियम और शर्तों को प्रत्यावर्तित या परिवर्तित नहीं करेगी और यह उससे स्वतंत्र होगा।

a. RBI ने अपने दिशानिर्देशों (संदर्भ संख्या RBI/2021-2022/125 DOR.STR.REC.68/21.04.048/2021-22) 'अग्रिमों से संबंधित आय चिन्हाकन, आस्ति वर्गीकरण और प्रावधान पर विवेकसम्मत मानदंड - स्पष्टीकरण' दिनांक 12-11-2021 में मौजूदा नियामकीय दिशानिर्देशों के कुछ निश्चित पहलुओं को स्पष्ट और/या सामंजस्यीकृत किया है। ऋणकर्ता सहमत है, वचन देता है और पुष्टि करता है कि बैंक ने ऋणकर्ता को निम्नलिखित स्पष्टीकरणों से अवगत कराया है और ऋणकर्ता निम्नलिखित के बारे में सूचित किए जाने की पुष्टि करता है:

1.1 विशेष उल्लेख खाता (SMA) और गैर-निष्पादक आस्ति (NPA) के रूप में वर्गीकरण

i. का अर्थ ऋण खाते में मूलधन/ब्याज/ लगाए गए किसी प्रभार से है जो ऋण सुविधा की स्वीकृति की शर्तों के अनुसार निर्धारित अवधि के अंदर देय हो।
ii. का अर्थ मूलधन/ब्याज/ऋण खाते पर लगाए गए प्रभार से है जो देय है, लेकिन क्रेडिट सुविधा की स्वीकृति की शर्तों के अनुसार निर्धारित अवधि के अंदर जिसका भुगतान नहीं किया गया है। दूसरे शब्दों में, किसी भी क्रेडिट सुविधा के तहत बैंक को देय कोई भी राशि 'अतिदेय' है यदि इसका भुगतान बैंक द्वारा निर्धारित नियत तारीख तक नहीं किया जाता है।
iii. भुगतान के विनियोग में 'फर्स्ट इन फर्स्ट आउट' (फीफो) के सिद्धांत की प्रासंगिकता उधारकर्ता का खाता: SMA/ NPA की स्थिति का निर्धारण करने के लिए अतिदेय दिनों की संख्या ज्ञात करने के लिए FIFO का सिद्धांत यानी 'फर्स्ट इन, फर्स्ट आउट' लेखांकन पद्धति प्रासंगिक है। FIFO सिद्धांत के अनुसार, ऋण खाते में सबसे पुरानी बकाया धनराशि पहले चुकानी होगी। इस प्रकार FIFO पद्धति के लिए आवश्यक है कि जो पहले से देय है उसका भुगतान ऋणकर्ता द्वारा पहले किया जाना चाहिए। उदाहरण के लिए, अगर किसी ऋण खाते में, 01-02-2021 तक की स्थिति के अनुसार, कोई अतिदेय नहीं हैं और INR X धनराशि, मूल किश्त/ब्याज/प्रभार के भुगतान हेतु देय है, तो 01-02-2021 को या इसके बाद ऋण खाते में क्रेडिट किया गया कोई भुगतान, 01-02-2021 के बकाया देयकों को चुकता करने के लिए उपयोग किया जाएगा।
iv. फरवरी माह के दौरान देयकों का कोई भुगतान/या आंशिक भुगतान (INR Y) न किया गया मानते हुए, 01-03-2021 तक के अनुसार अतिदेय INR X - INR Y होंगे।
इसके अलावा, INR Z की 01-03-2021 धनराशि को देय होगी। अब 01-03-2021 को या इसके पश्चात खाते में किया गया कोई भुगतान आंशिक भुगतान पहले 01-02-2021 के आंशिक देयक (INR X- INR Y) को चुकता करने के लिए उपयोग किया जाएगा। अगर वसूली INR X- INR Y से अधिक है तो 01-02-2021 के देयक वसूल करने के बाद शेष धनराशि को 01-03-2021 के देयकों की वसूली माना जाएगा।

(b) **विशेष उल्लेख खाता (SMA) और गैर-निष्पादक आस्ति (NPA) के रूप में वर्गीकरण**
ऋणदाता संस्थान, ऋणखातों में भुगतानचूक के तुरंत बाद उन्हें विशेष उल्लेख वाले खातों (SMA) के रूप में वर्गीकृत करते हुए आसन्न तनाव को चिन्हांकित करेगे। SMA/ NPA श्रेणी के वर्गीकरण का आधार निम्नानुसार है:

परिक्रामी सुविधाओं के अलावा अन्य ऋण		**नकद क्रेडिट/ ओवरड्राफ्ट की प्रकृति वाले ऋण**	
SMA उप श्रेणियां	वर्गीकरण के लिए आधार - मूलधन या ब्याज का भुगतान या कोई अन्य धनराशि पूर्ण या आंशिक रूप से अतिदेय	SMA उप श्रेणियां	वर्गीकरण के लिए आधार - निम्न अवधि तक के लिए, बकाया शेषराशि का स्वीकृत सीमा या आहरण शक्ति में से जो भी कम हो, से निरंतर अधिक बने रहना:
SMA 0	30 दिनों तक	NA	NA
SMA 1	30 दिनों से अधिक और 60 दिनों तक	SMA 1	30 दिनों से अधिक और 60 दिनों तक
SMA 2	60 दिनों से अधिक और 90 दिनों तक	SMA 2	60 दिनों से अधिक और 90 दिनों तक

(c) **गैर-निष्पादित आस्ति (NPA)**
गैर-निष्पादित आस्ति (NPA) एक ऋण या अग्रिम है जहां:

i. मियादी ऋण के संबंध में ब्याज और/या मूलधन की किश्त 90 दिनों से अधिक की अवधि के लिए अतिदेय हो।
ii. ओवरड्राफ्ट/नकद क्रेडिट (OD/CC) के संबंध में खाता निम्नानुसार 'अनियमित' रहेगा,
iii. खरीदे और भुनाए गए बिलों के मामले में बिल 90 दिनों से अधिक की अवधि के लिए अतिदेय हो।
iv. अल्प अवधि की फसलों के लिए दो फसल ऋतुओं तक मूलधन या उस पर ब्याज की किश्त अतिदेय हो।
v. मूलधन या उस पर ब्याज की किश्त लंबी अवधि की फसलों के लिए एक फसल मौसम के लिए अतिदेय हो।
vi. भारतीय रिज़र्व बैंक (मानक आस्तियों का प्रतिभूतिकरण) निर्देश 2021 के अनुसार, किए गए प्रतिभूतिकरण लेनदेन के संबंध में चलनिधि सुविधा की धनराशि 90 दिनों से अधिक समय तक बकाया हो।
vii. डेरिवेटिव लेनदेनों के संबंध में, एक डेरिवेटिव अनुबंध के सकारात्मक मार्क-टू-मार्केट मूल्य को निरूपित करने वाली बकाया प्राप्य धनराशि, अगर ये भुगतान के लिए निर्दिष्ट देय तारीख से 90 दिनों की अवधि के लिए अतिदेय हो।

(d) **'अनियमित होने की स्थिति:**
एक खाते को 'अनियमित' माना जाएगा अगर:

i. CC/OD खाते में बकाया धनराशि निरंतर 90 दिनों तक स्वीकृत सीमा/आहरण शक्ति से अधिक बनी रहने पर, या
ii. CC/OD खाते में बकाया धनराशि स्वीकृत सीमा/आहरण शक्ति से कम रहने पर किन्तु निरंतर 90 दिनों तक कोई क्रेडिट न किए जाने पर, या CC/OD खाते में बकाया धनराशि स्वीकृत सीमा/आहरण शक्ति से कम रहने पर लेकिन किए गए क्रेडिट, विगत 90 दिनों की अवधि के दौरान डेबिट किए गए ब्याज को कवर करने के लिए पर्याप्त न होने पर।

किश्तों की देय तिथि	भुगतान की तारीख	भुगतान कवर करता है	सबसे पुराने देयकों की आयु दिनों में	SMA/NPA वर्गीकरण	SMA होने की तारीख/ SMA वर्गीकरण की तारीख	NPA वर्गीकरण	NPA की तारीख
01.01.2022	01.01.2022	01.01.2022 तक समस्त देयक	0	शून्य	NA	NA	NA
01.02.2022	01.02.2022	01.02.2022 के देयकों का कोई भुगतान नहीं या आंशिक चुकता	1	SMA 0	01.02.2022	NA	NA
01.02.2022	02.02.2022	01.02.2022 के देयकों का कोई भुगतान नहीं या आंशिक चुकता	2	SMA 0	01.02.2022	NA	NA
01.03.2022		01.02.2022 के देयक पूर्ण चुकता, 01.03.2022 के देयक EOD 01.03.2022 पर चुकता नहीं।	29	SMA 0	01.02.2022	NA	NA
		01.02.2022 के देयक पूर्ण चुकता, 01.03.2022 के देयक EOD 01.03.2022 पर चुकता नहीं।	1	SMA 0	01.03.2022	NA	NA
		01.02.2022 और 01.03.2022 के पूर्ण देयकों का EOD 03.03.2022 तक कोई भुगतान नहीं	31	SMA 1	01.02.2022 / 03.03.2022	NA	NA
		01.02.2022 के देयक पूर्ण चुकता, 01.03.2022 के देयक EOD 01.03.2022 तक पूर्ण चुकता नहीं।	1	SMA 0	01.03.2022	NA	NA
		01.03.2022 के देयकों का कोई भुगतान नहीं या आंशिक चुकता 01.02.2022,01.03.2022 के देयक और 01.04.2022 की देयक धनराशि का EOD 01 04 2022 तक भुगतान नहीं।	60	SMA 1	01.02.2022 / 02.04.2022	NA	NA
		01.02.2022 से 01.05.2022 तक के देयकों का EOD 01.05.2022 तक भुगतान नहीं	61	SMA 2	01.02.2022 / 02.04.2022	NA	NA
01.05.2022		01.02.2022 से 01.05.2022 तक के देयकों का EOD 01.05.2022 तक भुगतान नहीं	90	SMA 2	01.02.2022 / 02.04.2022	NA	NA
		01.02.2022 से 01.05.2022 तक के देयकों का EOD 01.05.2022 तक भुगतान नहीं	91	NPA	NA	NA	02.05.2022
01.06.2022	01.06.2022	01.02.2022 के देयक EOD 01.06.2022 तक पूर्ण चुकता	93	NPA	NA	NPA	02.05.2022
01.07.2022	01.07.2022	01.03.2022 और 01.04.2022 के समस्त देयक EOD 01.07.2022 तक चुकता	62	NPA	NA	NPA	02.05.2022
01.08.2022	01.08.2022	01.05.2022 और 01.06.2022 के समस्त देयक EOD 01.08.2022 तक चुकता	32	NPA	NA	NPA	02.05.2022
01.09.2022	01.09.2022	01.07.2022 और 01.08.2022 के समस्त देयक EOD 01.09.2022 तक चुकता	1	NPA	NA	NPA	02.05.2022
01.10.2022	01.10.2022	01.09.2022 तक समस्त देयक	0	बिना किसी अतिदेय के मानक खात	NA	NA	01.10.2022 से STD

(e) ऋणकर्ता ऊपर उप-बंधों (a) से (d) तक में दिए गए SMA और NPA के वर्गीकरण और चित्रण से, जैसा कि विविध लागू विनियमों, तथा समय-समय पर RBI द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुरूप बैंक द्वारा खातों को SMA / NPA के रूप में वर्गीकृत किया जाना अपेक्षित है, सहमत है एवं अभिस्वीकृत करता है और:

i. जिन्हें समय-समय पर इस मामले में RBI के जारी दिशानिर्देशों की अपेक्षाओं के अनुरूप परिवर्तित/परिवर्धित किया जा सकता है ऐसे किसी परिवर्तन के बारे में बैंक द्वारा समय-समय पर ऋणकर्ता को सूचित किया जाएगा और ऋणकर्ता सहमत है और अभिस्वीकृत करता है कि ऐसी सूचना, अनुबंध में आगामी संशोधन की आवश्यकता के बिना या ऋणकर्ता की विशिष्ट अभिस्वीकृति की अपेक्षा के बिना उक्त सूचना, यहां प्रदत्त विधियों एवं चित्रणों को तद्नुरूप संशोधित करेगी; और;

ii. बैंक में ऋणकर्ता के खाते को, लागू विनियमों/RBI द्वारा समय-समय पर जारी दिशानिर्देशों के अनुसार SMA / NPA के रूप में वर्गीकृत करने के लिए बैंक को अधिकार प्राप्त होगा चाहे उसके वर्गीकरण और चित्रण के तरीकों को इस अनुबंध या स्वीकृति पत्र (पत्रों) में निर्धारित न किया गया हो;

28. बैंक अपने कर्मचारियों या बाहरी एजेंसी के कर्मचारियों द्वारा किए गए अनुचित व्यवहार के लिए उत्तरदायी होगा और समयबद्ध शिकायत निवारण उपलब्ध कराएगा।

29. उधारकर्ता अनुबंध करता है और सहमति देता है कि, जब तक ऋण दायित्व बकाया हैं, और जब तक बैंक से लिये गये ऋण दायित्वों का पूर्ण और अंतिम भुगतान नहीं हो जाता। तब तक उधारकर्ता ऐसे लेखा परीक्षकों के साथ सहयोग करेगा, जिन्हें बैंक द्वारा नियुक्त किया जाएगा। यदि उधारकर्ता की वित्तीय सुविधाओं या ऋण खाते को बैंक या किसी अन्य ऋणदाता द्वारा निषेध कर दिया जाता है। उधारकर्ता आगे यह अनुबंध करता है और सहमति देता है कि वह लेखा परीक्षकों द्वारा अपेक्षित एवं आवश्यक जानकारी और दस्तावेज उपलब्ध कराएगा, तथा इसके संबंध में सभी प्रकार के व्यय वहन करेगा, और इस संबंध में बैंक को क्षतिपूर्ति देने और क्षतिपूर्ति जारी करके लिए सहमति देता है।

30. मैं/हम सहमत हैं कि भौतिक माध्यम से/मेरे/हमारे गीले हस्ताक्षर के माध्यम से ऋण दस्तावेजों/समझौतों के निष्पादन के अलावा, बैंक ई-स्टांप और ई-हस्ताक्षर की सुविधाएं भी प्रदान कर सकता है, ताकि ऋण दस्तावेजों/समझौतों को मेरे/हमारे द्वारा निष्पादित किया जा सके। इलेक्ट्रॉनिक रूप से स्टांप लगाया जा सकता है और हमारे द्वारा इलेक्ट्रॉनिक मोड के माध्यम से निष्पादित किया जा सकता है। स्टांप शुल्क के भुगतान और ई-हस्ताक्षर सुविधाओं सहित ई-स्टांप प्रदान करने के लिए बैंक द्वारा की गई लागत को मेरे/हमारे चालू खाते/बचत खाते/नकद क्रेडिट खाते/ओवरड्राफ्ट खाते से डेबिट किया जाएगा। एक्सिस बैंक लिमिटेड से टर्म लोन/कोई अन्य बैंकिंग सुविधाएं ली गई/ली जानी हैं

31. शिकायत निवारण स्तर 1 में कॉल सेंटर के नंबर सम्मिलित हैं: 1800-419-5577, 1800-419-5577. या नजदीकी एक्सिस बैंक शाखा से संपर्क कर सकते हैं। अगर ग्राहक, स्तर 1 में ग्राहक को दी गई प्रतिक्रिया से संतुष्ट नहीं है तो ऋणकर्ता, बैंक के नोडल अधिकारी से भी संपर्क कर सकता है।

ईमेल: -nodal.ofkcer@axisbank.com
Ph. No. 080-61865200
समय: सोमवार से शनिवार सुबह 9:30 बजे से शाम 5:30 बजे तक (दूसरे और चौथे शनिवार और बैंक की छुट्टियों को छोड़कर)

32. मैं/हम पुष्टि करते हैं कि समूह के सभी सदस्यों द्वारा उनके आवेदन पत्र में, उनके आवास के प्रकार (पैतृक/किराए का/अपना) सहित दी गई समस्त जानकारी मेरे/हमारे सर्वोत्तम ज्ञान के अनुसार सत्य है।

33. मैं/हम सहमत हूं/हैं कि ऋण दस्तावेजों/अनुबंधों को भौतिक रूप से/मेरे/हमारे द्वारा पेन से हस्ताक्षर के माध्यम से निष्पादित करने के अलावा, बैंक ई-स्टांपिंग और ई-हस्ताक्षर सुविधाएं भी प्रदान कर सकता है, जिसमें मेरे/हमारे द्वारा निष्पादित किए जाने वाले ऋण दस्तावेजों/अनुबंधों पर इलेक्ट्रॉनिक रूप से मुहर लगाई जा सकेगी, और इलेक्ट्रॉनिक स्वरूप के माध्यम से हमारे द्वारा निष्पादित किया जा सकेगा।

Digitally Signed by
Name : DS AXIS BANK LIMITED 36
Date : Wed Jul 09 10:35:20 IST 2025

गवाह : (1)

गवाह : (1)

Digitally Signed by:
Name:Ms. Aarti Devi
Date:Wed Jul 09 10:36:43 IST 2025

एक्सिस बैंक लिमिटेड के अधिकारी के हस्ताक्षर

नाम

पदनाम

तारीख

उधारकर्ताओं 1

उधारकर्ताओं 2

उधारकर्ताओं 3

उधारकर्ताओं 4

उधारकर्ताओं 5

उधारकर्ताओं 6

उधारकर्ताओं 7

उधारकर्ताओं 8

उधारकर्ताओं 9

उधारकर्ताओं 10

-

स्थान

तारीख

DECLARATION

(to be obtained in case the executant signs in the language other than English and Illiterates)

The contents of the Agreement dated ______ executed by ______

in favour of AXIS BANK Ltd. for the credit facilities/loan of Rs ______ have been read over and translated into ______

and explained to Mr./Mrs. ______

the Borrowers and he/she/they having understood the contents thereof subscribed to the Agreement (dated at ______ this ____ day of ____ 20 __ __)

Declarant's Name ______

Address ______

Digitally Signed by:
Name:Ms. Aarti Devi
घोषणाकर्ता के हस्ताक्षर
Date:Wed Jul 09 10:36:43 IST 2025

घोषणापत्र

(उस स्थिति में लिया जाए जब निष्पादक अँग्रेजी के अतिरिक्त किसी अन्य भाषा मे हस्ताक्षर करें या निरक्षर हो)

दि ______ को ______

द्वारा रु ______ राशि की ऋण सुविधा ऋण के लिए एक्सिस बैंक के पक्ष मे निष्पादित हुए करार के सारों का अध्ययन कर लिया गया है तथा ______

भाषा मे अनुवादित किया जा चुका है तथा श्री/श्रीमती, ऋणि गारंटीदाता ______

को स्पष्ट किए जा चुके हैं तथा उसने उन्होने करार मे वर्णित सार को समझ लिया है (दि ______ को ____ माह २० __ __)

घोषणापत्र का नाम ______

पता ______

घोषणापत्र के हस्ताक्षर

Digitally Signed by:
Name:Ms. Aarti Devi
Date:Wed Jul 09 10:36:43 IST 2025

फार्म संख्या 60

[नियम 114 B का दूसरा प्रावधान देखें]

यह घोषणापत्र उस व्यक्ति द्वारा भरा जाएगा, जिसके पास स्थायी खाता संख्या नहीं है और जो नियम 114B में निर्दिष्ट कोई लेनदेन करता है।

घोषणाकर्ता का पूरा नाम और पता ______

घोषणाकर्ता का पूरा नाम और पता ______ लेन-देन की धनराशि ______

क्या आप कर निर्धारिती हैं? ☐ हाँ ☐ नहीं अगर हां,

i.वार्ड/सर्किल/रेंज का विवरण जहां पिछली आय विवरणी दाखिल की गई थी?

ii.स्थायी खाता संख्या न होने के कारण?

स्तंभ (1) में पते के समर्थन में प्रस्तुत किए जाने वाले दस्तावेज़ का विवरण

सत्यापन

मैं, ______ एतद्द्वारा यह घोषणा करता/करती हूं कि ऊपर जो भी उल्लेखित किया गया है वह मेरी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार सत्य है।

आज, ______ ______

स्थान ______ तारीख ______

घोषणाकर्ता के हस्ताक्षर

Digitally Signed by:
Name:Ms. Aarti Devi
Date:Wed Jul 09 10:36:43 IST 2025

निर्देश पते के समर्थन में प्रस्तुत दस्तावेज़ का नाम (KYC दिशानिर्देशों के अनुसार)

a) ______ b) ______

फार्म संख्या 61

[नियम के उपबंध (a) का प्रावधान देखें 114C(1)]

यह घोषणापत्र उस व्यक्ति द्वारा भरा जाएगा, जिसके पास स्थायी खाता संख्या नहीं है और जो नियम 114B में निर्दिष्ट कोई लेनदेन करता है।

घोषणाकर्ता का पूरा नाम और पता ______

घोषणाकर्ता का पूरा नाम और पता ______ क्या आप कर निर्धारिती हैं? ☐ हाँ ☐ नहीं अगर हां,

मैं एतद्द्वारा घोषणा करता/करती हूं कि मेरी आय का स्रोत कृषि है और मेरे द्वारा किसी अन्य आय पर आयकर का भुगतान किया जाना अपेक्षित नहीं है, अगर कोई हो।

स्थान ______ तारीख ______

घोषणाकर्ता के हस्ताक्षर

Digitally Signed by:
Name:Ms. Aarti Devi
Date:Wed Jul 09 10:36:43 IST 2025

सत्यापन

मैं, ______ एतद्द्वारा यह घोषणा करता/करती हूं कि ऊपर जो भी उल्लेखित किया गया है वह मेरी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार सत्य है।

आज, ______ ______

स्थान ______ तारीख ______

घोषणाकर्ता के हस्ताक्षर

Digitally Signed by:
Name:Ms. Aarti Devi
Date:Wed Jul 09 10:36:43 IST 2025

निर्देश पते के समर्थन में प्रस्तुत दस्तावेज़ का नाम (KYC दिशानिर्देशों के अनुसार)

a) AADHAR b) ______

AXIS BANK

स्वीकृति पत्र

समूह की ID

तारीख

प्रति,

आवेदक संख्या	ऐप ID	नाम

ग्राम तालुका जिला

समस्त,

विषय : JLG सदस्य को टर्म क्रेडिट सुविधा की स्वीकृति

आपके आवेदन-दिनांक

के संदर्भ में, हमें आपको निम्नलिखित नियमों और शर्तों के अनुसार उत्पादन ऋण सुविधा की स्वीकृति देते हुए प्रसन्नता हो रही है।

ऋण की धनराशि:

सुविधा मध्यावधि ऋण

सं.	ऋणकर्ता का नाम	सीमा रुपये में	प्रयोजन	ब्याज दर (ROI%)
कालावधि: ___ Monthly किश्त संवितरण के बाद				
पुनर्भुगतान निश्चित समान किश्त				

प्रत्येक सदस्य जेएलजी के प्रत्येक अन्य सदस्य द्वारा लिए गए ऋणों के पूर्णभुगतान की गारंटी देने के लिए सहमत है।
बैंक अपने विवेकाधिकार पर प्रत्येक उधारकर्ता को दी गई ऋण सुविधाओं के संबंध में ऐसी जानकारी को ऐसी संस्था (ओं) को प्रकट कर सकता है।

आपका विश्वासपात्र,

माइक्रोफाइनेंस बिजनेस लीड शाखा:

हम उपरोक्त नियमों और शर्तों को स्वीकार करते हैं

Digitally Signed by:
Name:Ms. Aarti Devi
Date:Wed Jul 09 10:36:43 IST 2025
AADHAAR

ऋणकर्ताओं के हस्ताक्षर/अंगूठे का निशान 1

ऋणकर्ताओं के हस्ताक्षर/अंगूठे का निशान 2

ऋणकर्ताओं के हस्ताक्षर/अंगूठे का निशान 3

ऋणकर्ताओं के हस्ताक्षर/अंगूठे का निशान 4

ऋणकर्ताओं के हस्ताक्षर/अंगूठे का निशान 5

ऋणकर्ताओं के हस्ताक्षर/अंगूठे का निशान 6

ऋणकर्ताओं के हस्ताक्षर/अंगूठे का निशान 7

ऋणकर्ताओं के हस्ताक्षर/अंगूठे का निशान 8

ऋणकर्ताओं के हस्ताक्षर/अंगूठे का निशान 9

ऋणकर्ताओं के हस्ताक्षर/अंगूठे का निशान 10

संयुक्त देयता समूह (JLG) अनुबंध

तारीख | समूह की ID

ग्राम

ऋण की धनराशि: रु.

(कृपया रु. केवल)

ऋण अवधि (Months):

उधारकर्ताओं 1

नाम

ऐप ID | W/O

ऋण धनराशि | ऋण का प्रयोजन

JLG ऋण अनुबंध के नियम और शर्तें

1. ऋण के स्वीकृति: ऋणकर्ताओं और गारंटरों (ऊपर सूचीबद्ध) में से प्रत्येक के अभ्यावेदन के आधार पर, और ऋणकर्ताओं और गारंटीकर्ताओं द्वारा सभी नियमों और शर्तों के अनुपालन के अधीन,एक्सिस बैंक लिमिटेड प्रत्येक उधारकर्ता को उधार देगा और एक्सिस बैंक लिमिटेड ऋण से 'संयुक्त देयता समूह ऋण' के तहत रु. [ ] ('मूलधन') की राशि उधार लेने के लिए सहमत है।

2. ब्याज दर: प्रभावी ब्याज दर% प्रति वर्ष। ऋण की पूरी अवधि के लिए मान्य होगा।

3. ब्याज दर: मुझे/हमें सूचित कर दिया गया है की हमारे ईएमआई(EMI) और अन्य पूर्णभुगतान/भार का पूर्णभुगतान मासिक/साप्ताहिक/पाक्षिक आधार पर होगा और ________________ से शुरू होकर प्रत्येक मासिक/साप्ताहिक/पाक्षिक के ________________पर देय होगा। ब्याज दर यथावत __________ भावी ब्याज दर% संवितरित ऋण के पूर्ण अविध के लिए मान्य होगा। पूर्णभुगतान मुझे/हमें सूचित किया गया है की हमरे EMI और अन्य पूर्णभुगतान /भार का पूर्णभुगतान मासिक शेष राशि के आधार पर होगा और निम्न से शरूु प्रत्येक माह मे देय होगा। मैं/ हम इसे समझते है की अगर मैं/हम उपरोक्त तारीख को अपनी EMI का भुगतान नहीं करते है, तो उस तारीख के अंत से मेरे/हमारे खाते को 'अ ितदेय' माना जाएगा। जब तक के एक्सिस बैंक लिमिटेड द्वारा पूर्णभुगतान के लिए पहले से मांग नहीं की जाती है, मुलधन और ब्याज और लागत और शूल्क के अलावा कोई ("जेएलजी ऋण") देय संबंधित ऋणदाता की ओर् से इस समझौते के निष्पादन/जेएलजी ऋण के सवितरण के तारीख के बाद से चुकाया जाएगा। समस्त पूर्णभुगतान के पहले JLG ऋण का लागत, भार, ब्याज और शेष धनराशि पर लागू हगे। JLG ऋण के लिए पूर्णभुगतान अविध का कोई विस्तार एक्सिस बैंक लिमिटेड के ववेकाधीन होगा।

4. गारंटी दायित्व: इस समझौते के तहत इस समूह के प्रत्येक और प्रत्येक अन्य उधारकर्ता द्वारा प्राप्त की गई जी.एल.जी. ऋण की ("समूह गारंटी") एक साथ और अलग-अलग रूप से,अविश्वासनीय और अपरिपरिणामी रूप से गारंटी देते हैं। प्रत्येक उधारकर्ता साझा और अलग-अलग रूप से उस जी.एल.जी. ऋण को वापस करने का वादा करता है और यहां स्पष्ट रूप से लेन-देन के पूरी जानकारी होने की पुष्टि करता है। सभी पक्ष यहां इस समझौते की शर्तों और गुणवत्ता का पालन करने और बाध्य रहने के लिए सहमत होते हैं, इसके बाद हर समय। हर उधारकर्ता द्वारा जी.एल.जी. ऋण का पूर्ण प्रति-चुकाना किया जाने तक, किसी भी तरीके से इस समझौते के अंतर्गत अपने कर्तव्यों से किसी भी प्रकार का छूट नहीं मिलेगी, चाहे फिर वो सभी या किसी भी उधारकर्ता के जी.एल.जी. ऋण के पूर्व-बंद, पूर्व-भुगतान, या जी.एल.जी. ऋण के पुनः आवंटन की हो।

5. संग्रह प्राप्तियाँ: ग्राहक द्वारा बैंक को किए गए सभी भुगतान डिजिटल/भौतिक रसीद के माध्यम से प्राप्त किए जाएंगे। उधारकर्ताओं से किए गए किसी भी दावों को डिजिटल/भौतिक रसीद के समर्थन में प्रस्तुत किया जाना होगा। इस प्रकार के सबूत की अनुपस्थिति में, कोई दावा मान्य नहीं किया जाएगा

6. अभ्यावेदन: समस्त ऋणकर्ता संयुक्त रूप से और पृथक रूप से एक्सिस बैंक लिमिटेड के समक्ष यह अभ्यावेदित करते हैं, पुष्टि करते हैं, और अभिस्वीकृत करते हैं कि:

   a. प्रत्येक निजी रूप से संविदा के लिए पात्र हैं और यह कि ऋणकर्ता JLG ऋण प्राप्त करने के लिए पात्र है।;
   b. JLG ऋण का किसी अवैध, गैरकानूनी या अनैतिक उद्देश्यों या गतिविधियों के लिए उपयोग नहीं किया जाना सुनिश्चित किया जाएगा।;
   c. वे एक समूह के रूप में समस्त गतिविधियों में भाग लेंगे और समूह के लिए समस्त दायित्वों का एक्सिस बैंक लिमिटेड द्वारा निर्दिष्ट विधि से पालन करेंगे। किसी स्थिति में एक्सिस बैंक लिमिटेड की पूर्व सहमति के बिना समूह का कोई पुनर्गठन नहीं किया जाएगा। एक्सिस बैंक लिमिटेड के पूर्ण विवेकानुसार, और समूह के सदस्यों की सहमति से, एक्सिस बैंक लिमिटेड के किसी अन्य सदस्य को जोड़कर या कार्यमुक्त करके समूह का पुनर्गठन किया जा सकता है।

7. जानकारी साझा/प्रदान करने का अधिकार: उधारकर्ता यहाँ पर स्पष्ट रूप से अधिकारित करता है कि एक्सिस बैंक लिमिटेड और उसके एजेंट्स को उधारकर्ता के ऋण सूचना, समाजिक इतिहास सहित,संबंधित सभी जानकारी, डेटा या दस्तावेजों का विनिमय, साझा करने या प्राप्त करने का अधिकार है एक्सिस बैंक लिमिटेड/ बैंकों/ वित्तीय संस्थानों/ क्रेडिट सूचना कंपनियों (सीआईसी)/ एजेंसियों/ विधि निकायों/ कर अधिकारियों/ केंद्रीय सूचना ब्यूरो/ अनुसंधान साथीयों और एक्सिस बैंक लिमिटेड के द्वारा आवश्यक माना जाने वाले अन्य व्यक्तियों के साथ, जब आवश्यक हो, साझा कर सकता है। उधारकर्ता इस जानकारी का उपयोग करने के लिए एक्सिस बैंक लिमिटेड को जिम्मेदार नहीं मानेगा

8. ऋणकर्ताओं एतद्द्वारा बैंक/ऋणदाता को संबंधित विनियमों/नियमों के साथ पठित यथासंशोधित और समय-समय पर प्रवर्तित और समय-समय पर यथानिर्दिष्ट अनुसार दिवाला और दिवालियापन संहिता,2016 (संक्षेप में 'संहिता') की धारा 3 (13) में परिभाषित किए गए अनुसार बैंक/ ऋणदाता से समय-समय पर प्राप्त क्रेडिट /वित्तीय सुविधाओं के संदर्भ में किसी 'सूचना उपयोगिता' को (सक्षेप में 'IU') जैसा संहिता की धारा 3 (21) में निर्दिष्ट है, सहिता के अंतर्गत निर्धारित प्रासगिक विनियमों, और भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा समय-समय पर बैंकों के लिए जारी दिशानिर्देशों के अनुरूप,'वित्तीय जानकारी' का खुलासा/प्रस्तुत करने के लिए विशिष्ट सहमति देता है और एतद्द्वारा बैंक/ ऋणदाता द्वारा दाखिल की गई 'वित्तीय जानकारी को तत्परता से प्रमाणित करने के लिए,जैसा और जब संबंधित 'IU' द्वारा अनुरोध किया जाए विशेषरूप से सहमति प्रदान करता है

9. गारंटरों एतद्द्वारा बैंक/ऋणदाता को संबंधित विनियमों/नियमों के साथ पठित यथासंशोधित और समय-समय पर प्रवर्तित और समय-समय पर यथानिर्दिष्ट अनुसार दिवाला और दिवालियापन संहिता, 2016 (संक्षेप में 'संहिता') की धारा 3 (13) में परिभाषित किए गए अनुसार, दी गई गारंटियों, बैंक/ ऋणदाता से ऋणकर्ता द्वारा क्रेडिट/वित्तीय सुविधाए प्राप्त करने के लिए निर्मित प्रतिभूतियों, के संदर्भ में किसी 'सूचना उपयोगिता' को (सक्षेप में ' IU') जैसा संहिता की धारा 3 (21) में निर्दिष्ट है, सहिता के अंतर्गत निर्धारित प्रासगिक विनियमों, और भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा समय-समय पर बैंकों के लिए जारी दिशानिर्देशों के अनुरूप, 'वित्तीय जानकारी' का खुलासा/प्रस्तुत करने के लिए विशिष्ट सहमति देता है और एतद्द्वारा बैंक/ ऋणदाता द्वारा दाखिल की गई 'वित्तीय जानकारी को तत्परता से प्रमाणित करने के लिए, जैसा और जब संबंधित 'IU' द्वारा अनुरोध किया जाए विशेषरूप से सहमति प्रदान करता है

10. सभी उधारकर्ता और गारंटर समझते हैं कि ऋण/अग्रिम/अन्य फंड आधारित और/या गैर-फंड आधारित क्रेडिट सुविधाओं के प्रदान के संबंध में, संबंधित उधारकर्ताओं के लिए बैंक को उधारकर्ताओं और गारंटरों की सहमति की आवश्यकता है कि बैंक द्वारा, उधारकर्ताओं और गारंटरों के संबंधित जानकारी और डेटा की खुलासा के लिए। उधारकर्ताओं द्वारा धारित/धारण किए जाने वाले कर्तव्य,इसके संबंध में और उधारकर्ताओं द्वारा की गई कोई भी चूक, जिसके अधीन किसी भी उधारकर्ता द्वारा किया जाता है, के खिलाफ

a) तदनुसार, सभी ऋणकर्ता और गारंटरों, एतद्वारा सहमत हैं और बैंकों द्वारा सभी या इनमें से किसी भी के प्रकटीकरण के लिए सहमति देते हैं
- हमसे संबंधित जानकारी और डेटा
- हमारे द्वारा प्राप्त की गई/प्राप्त की जाने वाली किसी क्रेडिट सुविधा से संबंधित जानकारी या डेटा और
- हमारे ऐसे दायित्वों के निर्वहन में हमारे द्वारा की गई कोई चूक, यदि कोई हो, के बारे में जैसा बैंक द्वारा क्रेडिट सूचना कंपनियों (CIC) के समक्ष तथा RBI द्वारा इस संबंध में अधिकृत किसी अन्य एजेंसी के समक्ष प्रकटित और प्रस्तुत करना अनिवार्य पाया जाए।

b) हम घोषणा करते हैं कि हमारे द्वारा बैंक के समक्ष प्रस्तुत जानकारी और डेटा सत्य और सही हैं।

c) हम, यह वचन देते हैं कि:
- क्रेडिट जानकारी कंपनियां (CIC), और कोई अन्य एजेंसी जिसे प्राधिकृत किया गया हो, बैंक द्वारा प्रकटित उक्त जानकारी और डेटा का उस प्रकार उपयोग, प्रोसेस कर सकती है, जैसा उनके द्वारा उपयुक्त पाया जाए, और
- क्रेडिट सूचना कंपनियां (CIC) और कोई अन्य एजेंसी, जिसे प्राधिकृत किया गया हो, प्रोसेस की गई जानकारी और डेटा या उनके द्वारा तैयार किए गए उत्पादों को बैंकों /FI और अन्य क्रेडिट प्रदाताओं या रजिस्टर्ड उपयोक्ताओं के समक्ष प्रतिफल के बदले प्रस्तुत कर सकती है, जैसा इस संबंध में रिजर्व बैंक द्वारा निर्दिष्ट किया जा सकता है।

11. ऋण राशि का ______ या @______: एक्सिस बैंक लिमिटेड को किसी समय अपने विवेकानुसार किन्हीं ऋण धनराशि/सुविधाओं की वापसी के लिए कोई कारण बताए बिना इन्हें वापस लेने का अधिकार होगा। इस तरह की किसी वापसी पर, एक्सिस बैंक लिमिटेड द्वारा निर्धारित मूलधन, ब्याज और अन्य समस्त धनराशियों का भुगतान, एक्सिस बैंक लिमिटेड द्वारा इस तरह की वापसी की तारीख से 15 दिनों के अंदर ऋणकर्ता द्वारा देय होगा।

12. नियम और शर्तों में परिवर्तन: एक्सिस बैंक लिमिटेड को, अन्य के अलावा ब्याज दर, आवधिकता अंतराल आदि किन्हीं शर्तों में बिना कोई कारण बताए संशोधन या परिवर्धन करने के लिए, पूर्ण विवेकाधिकार प्राप्त होगा, बशर्ते कि पक्षों को इस तरह के बदलाव के बारे में विधिवत सूचित किया गया हो। संशोधित शर्तों के बारे में एक्सिस बैंक लिमिटेड के कार्यालय में स्थित नोटिस बोर्ड पर या एक्सिस बैंक लिमिटेड द्वारा निर्धारित किसी अन्य प्रकार से सूचना को वैध और प्रभावी सूचना माना जाएगा। एतद्द्वारा यह स्पष्ट रूप से उल्लेखित है कि एक्सिस बैंक लिमिटेड द्वारा अपने पूर्ण विवेकानुसार इस अनुबंध के अंतर्गत किसी पक्ष के किन्हीं या समस्त के दायित्वों का निर्वहन या परिवर्तन किए जाने की स्थिति में एक्सिस बैंक लिमिटेड द्वारा इस तरह के निर्वहन से अन्य पक्षों को इस अनुबंध के अंतर्गत उनके दायित्वों से छूट प्राप्त नहीं होगी।

13. ऋणकर्ताओं मूलधन, ब्याज और किसी भी लागत और शुल्क, जो इस तरह के पूर्व-समापन के समय बकाया हो सकता है, को चुका कर ऋण को पूर्व-समाप्त करने का हकदार होगा और शेष अवधि के लिए कोई ब्याज देय और भुगतान योग्य नहीं होगा

14. बकाया राशि की गणना: एक्सिस बैंक लिमिटेड द्वारा बनाए गए रिकॉर्ड और एक्सिस बैंक लिमिटेड के एक अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित एक लिखित प्रमाणपत्र ऋणकर्ताओं की बकाया राशि के संपूर्ण सबूत होंगे। यदि उक्त गणना के संबंध में किसी विवाद/मतभिन्न होता है, तो उधारकर्ता को अधिकार नहीं होगा कि वह एक्सिस बैंक लिमिटेड द्वारा मांगी जाने वाली लेन-देन को रोक सके।

15. निस्तारण: एक्सिस बैंक लिमिटेड को किसी लागू कानून के अंतर्गत निस्तारण हेतु प्राप्त समस्त अधिकारों और उनकी सीमाओं के अतिरिक्त, और चाहे एक्सिस बैंक लिमिटेड ने कोई मांग की हो या नहीं या ऋणकर्ता के दायित्व परिपक्व हो गए हों, एक्सिस बैंक लिमिटेड को एक्सिस बैंक लिमिटेड या उसके समूह की किन्हीं संस्थाओं के पास प्रत्येक ऋणकर्ताओं की संयुक्त रूप से तथा पृथक रूप से मौजूद धनराशियों के सापेक्ष निस्तारण या समायोजन का अधिकार प्राप्त होगा और संबंधित पक्ष एक्सिस बैंक लिमिटेड को ऋणकर्ताओं के ऐसे खातों से डेबिट करने के लिए अधिकृत करते हैं।)

16. समाप्ति: एक्सिस बैंक लिमिटेड को इस समझौते को समाप्त करने, समूह गारंटी को प्रारंभ करने, और/या जी.एल.जी. ऋण के सभी या किसी भी हिस्से को समाप्त करने का अधिकार है,लेकिन अनिवार्यता नहीं है, निम्नलिखित घटनाओं में से किसी भी में: यदि उधारकर्ताओं में से कोई भी एक भी उधारकर्ता किसी डिफ़ॉल्ट की घटना करता है। उधारकर्ताओं को माना जाएगा कि उन्होंने आंतरिक रूप से निम्नलिखित किसी भी घटना(जिसे इसके बाद 'डिफ़ॉल्ट की घटना' के रूप में संदर्भित किया गया है) को किसी कदम की तरह किया है

a. अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित घटनाओं में से किसी एक या अधिक के घटित होने पर ऋणकर्ताओं को चूक का कार्य किया हुआ माना जाएगा (इसके बाद इसे 'डिफ़ॉल्ट की घटना' कहा जाएगा):

i. यदि कोई भी उधारकर्ता इस समझौते की शर्तों और गुणवत्ता और/या सभी या किसी को एक किस्म की भंग या डिफ़ॉल्ट करता है और/या एक्सिस बैंक लिमिटेड को किसी भी प्रकार की गड़बड़ी होती है: या
ii. यदि कोई भी उधारकर्ता ऐसी कोई जानकारी या दस्तावेज नहीं प्रस्तुत करता है जो एक्सिस बैंक लिमिटेड के द्वारा आवश्यक हो सकते हैं; या
iii. अन्य कोई परिस्थिति मौजूद है, जो केवल एक्सिस बैंक लिमिटेड की मान्यता में, बैंक के हितों को खतरे में डालती है

17. प्राधिकरण / आवंटन: समस्त ऋणकर्ता स्पष्ट रूप से यह अभिस्वीकृत करते हैं और स्वीकार करते हैं कि एक्सिस बैंक लिमिटेड स्वयं या अपने अधिकारियों या कर्मचारियों के माध्यम से ऐसी गतिविधियों को करने के अपने अधिकार को प्रतिकूल प्रभावित किए बिना, हकदार होगा और एक या अधिक तृतीय पक्षों को नियुक्त करने का पूर्ण शक्ति और प्राधिकार प्राप्त होगा, जैसा एक्सिस बैंक लिमिटेड द्वारा चयनित किया जा सकता हो, और वह किसी ऋण के प्रशासन के संबंध में इस अनुबंध के अंतर्गत अपने समस्त या किन्हीं प्रकार्यों, अधिकारों और शक्तियों को एसे तृतीय पक्ष को सौंपने का अधिकारी होगा, जिनमें एक्सिस बैंक लिमिटेड की ओर से ऋणकर्ता से किसी भुगतान को, ऋणकर्ता द्वारा इस संबंध में हस्ताक्षरित किन्हीं और समस्त अनुबंधों के अंतर्गत देय किन्हीं भुगतानों और अन्य धनराशियों को संकलित करने और प्राप्त करने, और नोटिस भेजने, ऋणकर्ताओं के निवास या कार्यालय में उपस्थित होने या ऋणकर्ताओं से अन्य प्रकार से संपर्क करने सहित समस्त कानूनी कृत्यों, कार्यों, मामलों और उससे जुड़ी चीजों को निष्पादित करने और संपन्न करने के लिए का अधिकार और प्राधिकार भी सम्मिलित है। इसके अतिरिक्त, समस्त ऋणकर्ता स्पष्ट रूप से यह अभिस्वीकृत करते हैं कि पोर्टफोलियो की बिक्री के माध्यम से या अन्य प्रकार से, किसी अन्य व्यक्ति को इस अनुबंध को सौंपने और ऋणकर्ता को पूर्व या बाद में सूचित किए जाने या उससे अनुमोदन लिए जाने की अपेक्षा के बिना ऐसे लेनदेन अनुमोदित और प्राधिकृत करने के लिए एक्सिस बैंक लिमिटेड के पास विकल्प होगा।

18. प्रोसेसिंग प्रभार ऋणकर्ता, रू. 50,000 से अधिक कुल स्वीकृत धनराशियों का 1.49% तक (GST सहित) (निकटतम रुपए में पूर्णांकित करना) एकमुश्त अप्रतिदेय प्रोसेसिंग शुल्क के रूप में भुगतान करने हेतु सहमत है। वितरण के दौरान प्रोसेसिंग शुल्क की कटौती की जाएगी और ग्राहक को शेष राशि प्रदान की जाएगी।

19. GST: समस्त प्रभारों और शुल्कों (जहां भी GST लागू हो) पर लागू दरों के अनुसार माल एवं सेवा कर (GST) अतिरिक्त प्रभारित किया जाएगा।

20. बीमा प्रीमियम ऋणकर्ता स्वीकृत ऋण राशि के सापेक्ष ऋण अवधि के समान अवधि के लिए स्वयं या अपने पति या पत्नी या दोनों के लिए बीमा प्राप्त करने का विकल्प चुन सकता है। बीमा प्रीमियम, अगर चुना जाता है, तो स्वीकृत धनराशि से, वितरण के दौरान तदनुसार (निकटतम रुपए में पूर्णांकित करना) काट लिया जाएगा और शेष धनराशि ऋणकर्ता को सौंप दी जाएगी।

21. हमें एक्सिस बैंक लिमिटेड द्वारा _____ बीमा कंपनी की लाइफ शील्ड पॉलिसी के तहत जीवन बीमा कवर के बारे में सूचित किया गया है। हम जानते हैं कि बीमित राशि और अवधि। मैं एतद्द्वारा ऐक्सिस बैंक को लाइफ शील्ड के तहत मुझे/हमें कवरेज देने के लिए अपनी सहमति देता हूं- एक्सिस बैंक द्वारा अपने माइक्रोलोन ग्राहकों को कवर करने के लिए ली गई एक समूह टर्म लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी। मैं बिना शर्त सहमत हूं और एक्सिस बैंक लिमिटेड के पक्ष में पुष्टि करता हूं। मेरी मृत्यु पर मेरे बीमा दावे के आवेदन को संसाधित करने और दावा राशि प्राप्त करने के लिए और इसे मेरे बकाया ऋण के लिए समायोजित करें और शेष राशि का भुगतान मेरे नामित/कानूनी उत्तराधिकारी/लाभार्थी को करें।

22. मैं इसके द्वारा ____________ लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड को क्रेडिट अकाउंट स्टेटमेंट (मास्टर पॉलिसी धारक द्वारा प्रदान की जाने वाली) में दिए गए बकाया ऋण की शेष राशि का भुगतान करने के लिए अधिकृत करता हूं, एक्सिस बैंक लिमिटेड ("मास्टर पॉलिसी धारक") को, द्वारा लिए गए ऋण के संबंध में मुझे मास्टर पॉलिसीधारक (जिसकी आवेदन संख्या यहां उल्लिखित है) से, बीमित घटना के होने पर इस समूह पॉलिसी के तहत मेरे नामिती/लाभार्थी को देय दावा आय से घटाकर।

23. कृपया ध्यान दें कि बैंक द्वारा नियुक्त बीमा साझेदारों (ऐसे बीमा साझेदारों) से बीमा योजना आपकी सुविधा के लिए उपलब्ध कराई जाती है और यदि आप इसे चुनते हैं, तो हम आपकी सहायता कर सकते हैं। चुनी गई योजना का नामांकन। यह स्पष्ट किया जाता है कि ऐसे बीमा साझेदारों से बीमा कवर की खरीद स्वैच्छिक/वैकल्पिक होगी और यह आपके बैंक से किसी भी उत्पाद/सेवाओं की प्राप्ति से जुड़ी नहीं है ऐसे बीमा भागीदार(ओं) या किसी अन्य बीमा प्रदाता से बीमा कवर प्राप्त करना चुन सकते हैं।

24.सामान्य उपबंध:

a. इसके अतिरिक्त समस्त ऋणकर्ता संयुक्त रूप से और निजी रूप से और एतद्द्वारा अभ्यावेदित करते हैं और पुष्टि करते हैं कि किसी अनुबंध / आवेदन / और संचार में और संबंधित मूल्यांकन प्रपत्र और इस संबंध में विभिन्न अन्य दस्तावेजों में किसी भी समय प्रदान की जाने वाली समस्त जानकारी सत्य है और होगी, जिसे समस्त प्रकार से सही और अद्यतन किया गया है और कुछ भी नहीं रोका गया है या रोका नहीं जाएगा और जानकारी में कोई परिवर्तन होने की स्थिति में तुरंत एक्सिस बैंक लिमिटेड को सूचित करना उनका दायित्व होगा।
b. उत्तराधिकारी एवं आवंटी: एक्सिस बैंक लिमिटेड के समस्त संदर्भों में, ऋणकर्ताओं में, जहां भी संदर्भ में उस प्रकार अपेक्षित हो, इसके/उनके उत्तराधिकारी, आवटी और/या उत्तराधिकारी सम्मिलित होंगे।
c. गंभीरता किसी शब्द, वाक्यांश, खंड, पैराग्राफ, प्रतिबंध, संधि, अनुबंध या अन्य प्रावधानों की अमान्यता या अप्रवर्तनीयता किसी भी प्रकार से किसी अन्य प्रावधान या उसके किसी भाग की वैधता या प्रवर्तन को प्रभावित नहीं करेगी।

25. एक्सिस बैंक की वेबसाइट पर प्रकाशित रिटेल माइक्रोफाइनेंस के लिए कोई उचित आचरण संहिता, ऋण पर लागू नहीं होगी। रिटेल माइक्रोफाइनेंस के लिए उचित आचरण संहिता की प्रति; जो कि बैंक की वेबसाइट पर उपलब्ध है: "https: / /www.axisbank.com/docs/default-source/default-document-library/fpc-retail-microfinance-21-4-21.pdf"losure charge.

26. शासी कानून और न्यायाधिकार क्षेत्र: यह अनुबंध, भारत गणराज्य के कानूनों द्वारा शासित, और उनके अनुसार अन्वित और व्याख्यायित किया जाएगा। इस अनुबंध के अस्तित्व, वैधता या समाप्ति सहित इसकी व्याख्या, आवेदन या प्रदर्शन से उत्पन्न या उसके संबंध में कोई मतभेद, विवाद या दावा विवाचन और सुलह अधिनियम, 1996 के अनुरूप Axis Bank Ltd. द्वारा नामित एकमात्र विवाचक के माध्यम से, अंतिम और बाध्यकारी विवाचन द्वारा निस्तारित किया जाएगा। विवाचन का स्थान मुंबई होगा और कार्यवाही में अंग्रेजी भाषा का प्रयोग किया जाएगा। भारत के ___________न्यायालय को इस अनुबंध की वैधता, प्रवर्तनीयता और व्याख्या के प्रश्नों के संबंध मेंअधिकार क्षेत्र प्राप्त होगा।

27. अवधि यह अनुबंध, JLG ऋण की स्वीकृति और/या वितरण की तारीख से शुरू होगा, और ऋणकर्ता द्वारा समस्त JLG ऋण का पुनर्भुगतान कर दिए जाने तक या एक्सिस बैंक लिमिटेड द्वारा पूर्वसमाप्त किए जाने तक प्रभावी रहेगा। इसके अलावा यह विशेष रूप से उल्लेखित है कि किन्हीं भी परिस्थितियों में इस अनुबंध की समाप्ति, पक्षों के बीच सहमतिप्राप्त किसी अन्य अनुबंध के अंतर्गत किसी नियम और शर्तों को प्रत्यावर्तित या परिवर्तित नहीं करेगी और यह उससे स्वतंत्र होगा।

a. RBI ने अपने दिशानिर्देशों (संदर्भ संख्या RBI/2021-2022/125 DOR.STR.REC.68/21.04.048/2021-22) 'अग्रिमों से संबंधित आय चिन्हाकन, आस्ति वर्गीकरण और प्रावधान पर विवेकसम्मत मानदंड - स्पष्टीकरण' दिनांक 12-11-2021 में मौजूदा नियामकीय दिशानिर्देशों के कुछ निश्चित पहलुओं को स्पष्ट और/या सामंजस्यीकृत किया है। ऋणकर्ता सहमत है, वचन देता है और पुष्टि करता है कि बैंक ने ऋणकर्ता को निम्नलिखित स्पष्टीकरणों से अवगत कराया है और ऋणकर्ता निम्नलिखित के बारे में सूचित किए जाने की पुष्टि करता है:

<u>1.1 विशेष उल्लेख खाता (SMA) और गैर-निष्पादक आस्ति (NPA) के रूप में वर्गीकरण</u>

i. का अर्थ ऋण खाते में मूलधन/ब्याज/ लगाए गए किसी प्रभार से है जो ऋण सुविधा की स्वीकृति की शर्तों के अनुसार निर्धारित अवधि के अंदर देय हो।
ii. का अर्थ मूलधन/ब्याज/ऋण खाते पर लगाए गए प्रभार से है जो देय है, लेकिन क्रेडिट सुविधा की स्वीकृति की शर्तों के अनुसार निर्धारित अवधि के अंदर जिसका भुगतान नहीं किया गया है। दूसरे शब्दों में, किसी भी क्रेडिट सुविधा के तहत बैंक को देय कोई भी राशि 'अतिदेय' है यदि इसका भुगतान बैंक द्वारा निर्धारित नियत तारीख तक नहीं किया जाता है।
iii. भुगतान के विनियोग में 'फर्स्ट इन फर्स्ट आउट' (फीफो) के सिद्धांत की प्रासंगिकता उधारकर्ता का खाता: SMA/ NPA की स्थिति का निर्धारण करने के लिए अतिदेय दिनों की संख्या ज्ञात करने के लिए FIFO का सिद्धांत यानी 'फर्स्ट इन, फर्स्ट आउट' लेखांकन पद्धति प्रासंगिक है। FIFO सिद्धांत के अनुसार, ऋण खाते में सबसे पुरानी बकाया धनराशि पहले चुकानी होगी। इस प्रकार FIFO पद्धति के लिए आवश्यक है कि जो पहले से देय है उसका भुगतान ऋणकर्ता द्वारा पहले किया जाना चाहिए। उदाहरण के लिए, अगर किसी ऋण खाते में, 01-02-2021 तक की स्थि के अनुसार, कोई अतिदेय नहीं हैं और INR X धनराशि, मूल किश्त/ब्याज/प्रभार के भुगतान हेतु देय है, तो 01-02-2021 को या इसके बाद ऋण खाते में क्रेडिट किया गया कोई भुगतान, 01-02-2021 के बकाया देयकों को चुकता करने के लिए उपयोग किया जाएगा।
iv. फरवरी माह के दौरान देयकों का कोई भुगतान/या आंशिक भुगतान (INR Y) न किया गया मानते हुए, 01-03-2021 तक के अनुसार अतिदेय INR X - INR Y होंगे।
इसके अलावा, INR Z की 01-03-2021 धनराशि को देय होगी। अब 01-03-2021 को या इसके पश्चात खाते में किया गया कोई भुगतान आंशिक भुगतान पहले 01-02-2021 के आंशिक देयक (INR X- INR Y) को चुकता करने के लिए उपयोग किया जाएगा। अगर वसूली INR X- INR Y से अधिक है तो 01-02-2021 के देयक वसूल करने के बाद शेष धनराशि को 01-03-2021 के देयकों की वसूली माना जाएगा।

(b) **विशेष उल्लेख खाता (SMA) और गैर-निष्पादक आस्ति (NPA) के रूप में वर्गीकरण**
ऋणदाता संस्थान, ऋणखातों में भुगतानचूक के तुरंत बाद उन्हें विशेष उल्लेख वाले खातों (SMA) के रूप में वर्गीकृत करते हुए आसन्न तनाव को चिन्हांकित करेंगे। SMA/ NPA श्रेणी के वर्गीकरण का आधार निम्नानुसार है:

परिक्रामी सुविधाओं के अलावा अन्य ऋण		**नकद क्रेडिट/ ओवरड्राफ्ट की प्रकृति वाले ऋण**	
SMA उप श्रेणियां	वर्गीकरण के लिए आधार - मूलधन या ब्याज का भुगतान या कोई अन्य धनराशि पूर्ण या आंशिक रूप से अतिदेय	SMA उप श्रेणियां	वर्गीकरण के लिए आधार - निम्न अवधि तक के लिए, बकाया शेषराशि का स्वीकृत सीमा या आहरण शक्ति में से जो भी कम हो, से निरंतर अधिक बने रहना:
SMA 0	30 दिनों तक	NA	NA
SMA 1	30 दिनों से अधिक और 60 दिनों तक	SMA 1	30 दिनों से अधिक और 60 दिनों तक
SMA 2	60 दिनों से अधिक और 90 दिनों तक	SMA 2	60 दिनों से अधिक और 90 दिनों तक

(c) **गैर-निष्पादित आस्ति (NPA)**
गैर-निष्पादित आस्ति (NPA) एक ऋण या अग्रिम है जहां:

i. मियादी ऋण के संबंध में ब्याज और/या मूलधन की किश्त 90 दिनों से अधिक की अवधि के लिए अतिदेय हो।
ii. ओवरड्राफ्ट/नकद क्रेडिट (OD/CC) के संबंध में खाता निम्नानुसार 'अनियमित' रहेगा,
iii. खरीदे और भुनाए गए बिलों के मामले में बिल 90 दिनों से अधिक की अवधि के लिए अतिदेय हो।
iv. अल्प अवधि की फसलों के लिए दो फसल ऋतुओं तक मूलधन या उस पर ब्याज की किश्त अतिदेय हो।
v. मूलधन या उस पर ब्याज की किश्त लंबी अवधि की फसलों के लिए एक फसल मौसम के लिए अतिदेय हो।
vi. भारतीय रिज़र्व बैंक (मानक आस्तियों का प्रतिभूतिकरण) निर्देश 2021 के अनुसार, किए गए प्रतिभूतिकरण लेनदेन के संबंध में चलनिधि सुविधा की धनराशि 90 दिनों से अधिक समय तक बकाया हो।
vii. डेरिवेटिव लेनदेनों के संबंध में, एक डेरिवेटिव अनुबंध के सकारात्मक मार्क-टू-मार्केट मूल्य को निरूपित करने वाली बकाया प्राप्य धनराशि, अगर ये भुगतान के लिए निर्दिष्ट देय तारीख से 90 दिनों की अवधि के लिए अतिदेय हो।

(d) **'अनियमित होने की स्थिति:**
एक खाते को 'अनियमित' माना जाएगा अगर:

i. CC/OD खाते में बकाया धनराशि निरंतर 90 दिनों तक स्वीकृत सीमा/आहरण शक्ति से अधिक बनी रहने पर, या
ii. CC/OD खाते में बकाया धनराशि स्वीकृत सीमा/आहरण शक्ति से कम रहने पर किन्तु निरंतर 90 दिनों तक कोई क्रेडिट न किए जाने पर, या CC/OD खाते में बकाया धनराशि स्वीकृत सीमा/आहरण शक्ति से कम रहने पर लेकिन किए गए क्रेडिट, विगत 90 दिनों की अवधि के दौरान डेबिट किए गए ब्याज को कवर करने के लिए पर्याप्त न होने पर।

किश्तों की देय तिथि	भुगतान की तारीख	भुगतान कवर करता है	सबसे पुराने देयकों की आयु दिनों में	SMA/NPA वर्गीकरण	SMA होने की तारीख/ SMA वर्गीकरण की तारीख	NPA वर्गीकरण	NPA की तारीख
01.01.2022	01.01.2022	01.01.2022 तक समस्त देयक	0	शून्य	NA	NA	NA
01.02.2022	01.02.2022	01.02.2022 के देयकों का कोई भुगतान नहीं या आंशिक चुकता	1	SMA 0	01.02.2022	NA	NA
01.02.2022	02.02.2022	01.02.2022 के देयकों का कोई भुगतान नहीं या आंशिक चुकता	2	SMA 0	01.02.2022	NA	NA
01.03.2022		01.02.2022 के देयक पूर्ण चुकता, 01.03.2022 के देयक EOD 01.03.2022 पर चुकता नहीं।	29	SMA 0	01.02.2022	NA	NA
		01.02.2022 के देयक पूर्ण चुकता, 01.03.2022 के देयक EOD 01.03.2022 पर चुकता नहीं।	1	SMA 0	01.03.2022	NA	NA
		01.02.2022 और 01.03.2022 के पूर्ण देयकों का EOD 03.03.2022 तक कोई भुगतान नहीं	31	SMA 1	01.02.2022 / 03.03.2022	NA	NA
		01.02.2022 के देयक पूर्ण चुकता, 01.03.2022 के देयक EOD 01.03.2022 तक पूर्ण चुकता नहीं।	1	SMA 0	01.03.2022	NA	NA
		01.03.2022 के देयकों का कोई भुगतान नहीं या आंशिक चुकता 01.02.2022,01.03.2022 के देयक और 01.04.2022 की देयक धनराशि का EOD 01 04 2022 तक भुगतान नहीं।	60	SMA 1	01.02.2022 / 02.04.2022	NA	NA
		01.02.2022 से 01.05.2022 तक के देयकों का EOD 01.05.2022 तक भुगतान नहीं	61	SMA 2	01.02.2022 / 02.04.2022	NA	NA
01.05.2022		01.02.2022 से 01.05.2022 तक के देयकों का EOD 01.05.2022 तक भुगतान नहीं	90	SMA 2	01.02.2022 / 02.04.2022	NA	NA
		01.02.2022 से 01.05.2022 तक के देयकों का EOD 01.05.2022 तक भुगतान नहीं	91	NPA	NA	NA	02.05.2022
01.06.2022	01.06.2022	01.02.2022 के देयक EOD 01.06.2022 तक पूर्ण चुकता	93	NPA	NA	NPA	02.05.2022
01.07.2022	01.07.2022	01.03.2022 और 01.04.2022 के समस्त देयक EOD 01.07.2022 तक चुकता	62	NPA	NA	NPA	02.05.2022
01.08.2022	01.08.2022	01.05.2022 और 01.06.2022 के समस्त देयक EOD 01.08.2022 तक चुकता	32	NPA	NA	NPA	02.05.2022
01.09.2022	01.09.2022	01.07.2022 और 01.08.2022 के समस्त देयक EOD 01.09.2022 तक चुकता	1	NPA	NA	NPA	02.05.2022
01.10.2022	01.10.2022	01.09.2022 तक समस्त देयक	0	बिना किसी अतिदेय के मानक खात	NA	NA	01.10.2022 से STD

(e) ऋणकर्ता ऊपर उप-बंधों (a) से (d) तक में दिए गए SMA और NPA के वर्गीकरण और चित्रण से, जैसा कि विविध लागू विनियमों, तथा समय-समय पर RBI द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुरूप बैंक द्वारा खातों को SMA / NPA के रूप में वर्गीकृत किया जाना अपेक्षित है, सहमत है एवं अभिस्वीकृत करता है और:

i. जिन्हें समय-समय पर इस मामले में RBI के जारी दिशानिर्देशों की अपेक्षाओं के अनुरूप परिवर्तित/परिवर्धित किया जा सकता है ऐसे किसी परिवर्तन के बारे में बैंक द्वारा समय-समय पर ऋणकर्ता को सूचित किया जाएगा और ऋणकर्ता सहमत है और अभिस्वीकृत करता है कि ऐसी सूचना, अनुबंध में आगामी संशोधन की आवश्यकता के बिना या ऋणकर्ता की विशिष्ट अभिस्वीकृति की अपेक्षा के बिना उक्त सूचना, यहां प्रदत्त विधियों एवं चित्रणों को तद्नुरूप संशोधित करेगी; और;

ii. बैंक में ऋणकर्ता के खाते को, लागू विनियमों/RBI द्वारा समय-समय पर जारी दिशानिर्देशों के अनुसार SMA / NPA के रूप में वर्गीकृत करने के लिए बैंक को अधिकार प्राप्त होगा चाहे उसके वर्गीकरण और चित्रण के तरीकों को इस अनुबंध या स्वीकृति पत्र (पत्रों) में निर्धारित न किया गया हो;

28. बैंक अपने कर्मचारियों या बाहरी एजेंसी के कर्मचारियों द्वारा किए गए अनुचित व्यवहार के लिए उत्तरदायी होगा और समयबद्ध शिकायत निवारण उपलब्ध कराएगा।

29. उधारकर्ता अनुबंध करता है और सहमति देता है कि, जब तक ऋण दायित्व बकाया हैं, और जब तक बैंक से लिये गये ऋण दायित्वों का पूर्ण और अंतिम भुगतान नहीं हो जाता। तब तक उधारकर्ता ऐसे लेखा परीक्षकों के साथ सहयोग करेगा, जिन्हें बैंक द्वारा नियुक्त किया जाएगा। यदि उधारकर्ता की वित्तीय सुविधाओं या ऋण खाते को बैंक या किसी अन्य ऋणदाता द्वारा निषेध कर दिया जाता है। उधारकर्ता आगे यह अनुबंध करता है और सहमति देता है कि वह लेखा परीक्षकों द्वारा अपेक्षित एवं आवश्यक जानकारी और दस्तावेज उपलब्ध कराएगा, तथा इसके संबंध में सभी प्रकार के व्यय वहन करेगा, और इस संबंध में बैंक को क्षतिपूर्ति देने और क्षतिपूर्ति जारी करके लिए सहमति देता है।

30. मैं/हम सहमत हैं कि भौतिक माध्यम से/मेरे/हमारे गीले हस्ताक्षर के माध्यम से ऋण दस्तावेजों/समझौतों के निष्पादन के अलावा, बैंक ई-स्टांप और ई-हस्ताक्षर की सुविधाएं भी प्रदान कर सकता है, ताकि ऋण दस्तावेजों/समझौतों को मेरे/हमारे द्वारा निष्पादित किया जा सके। इलेक्ट्रॉनिक रूप से स्टांप लगाया जा सकता है और हमारे द्वारा इलेक्ट्रॉनिक मोड के माध्यम से निष्पादित किया जा सकता है। स्टांप शुल्क के भुगतान और ई-हस्ताक्षर सुविधाओं सहित ई-स्टांप प्रदान करने के लिए बैंक द्वारा की गई लागत को मेरे/हमारे चालू खाते/बचत खाते/नकद क्रेडिट खाते/ओवरड्राफ्ट खाते से डेबिट किया जाएगा। एक्सिस बैंक लिमिटेड से टर्म लोन/कोई अन्य बैंकिंग सुविधाएं ली गई/ली जानी हैं

31. शिकायत निवारण स्तर 1 में कॉल सेंटर के नंबर सम्मिलित हैं: 1800-419-5577, 1800-419-5577. या नजदीकी एक्सिस बैंक शाखा से संपर्क कर सकते हैं। अगर ग्राहक, स्तर 1 में ग्राहक को दी गई प्रतिक्रिया से संतुष्ट नहीं है तो ऋणकर्ता, बैंक के नोडल अधिकारी से भी संपर्क कर सकता है।

ईमेल: -nodal.ofkcer@axisbank.com
Ph. No. 080-61865200
समय: सोमवार से शनिवार सुबह 9:30 बजे से शाम 5:30 बजे तक (दूसरे और चौथे शनिवार और बैंक की छुट्टियों को छोड़कर)

32. मैं/हम पुष्टि करते हैं कि समूह के सभी सदस्यों द्वारा उनके आवेदन पत्र में, उनके आवास के प्रकार (पैतृक/किराए का/अपना) सहित दी गई समस्त जानकारी मेरे/हमारे सर्वोत्तम ज्ञान के अनुसार सत्य है।

33. मैं/हम सहमत हूं/हैं कि ऋण दस्तावेजों/अनुबंधों को भौतिक रूप से/मेरे/हमारे द्वारा पेन से हस्ताक्षर के माध्यम से निष्पादित करने के अलावा, बैंक ई-स्टांपिंग और ई-हस्ताक्षर सुविधाएं भी प्रदान कर सकता है, जिसमें मेरे/हमारे द्वारा निष्पादित किए जाने वाले ऋण दस्तावेजों/अनुबंधों पर इलेक्ट्रॉनिक रूप से मुहर लगाई जा सकेगी, और इलेक्ट्रॉनिक स्वरूप के माध्यम से हमारे द्वारा निष्पादित किया जा सकेगा।

Digitally Signed by
Name : DS AXIS BANK LIMITED 36
Date : Wed Jul 09 10:35:20 IST 2025

गवाह : (1)

गवाह : (1)

Digitally Signed by:
Name:Ms. Aarti Devi
Date:Wed Jul 09 10:36:43 IST 2025

एक्सिस बैंक लिमिटेड के अधिकारी के हस्ताक्षर

नाम

पदनाम

तारीख

उधारकर्ताओं 1	उधारकर्ताओं 2	उधारकर्ताओं 3
उधारकर्ताओं 4	उधारकर्ताओं 5	उधारकर्ताओं 6
उधारकर्ताओं 7	उधारकर्ताओं 8	उधारकर्ताओं 9
उधारकर्ताओं 10		

स्थान

तारीख

AXIS BANK

अक्ष सहयोग JLG डायरेक्ट बैंक लिंकेज प्रोग्राम
JLG पहचान पत्र

Sol ID:

RM/ARM कर्मचारी ID:

समूह की ID:

FE कर्मचारी ID:

पता:

ग्राम:

तालुका:

पिन

जिला:

राज्य

वितरण की तारीख

वितरण का समय

RoI:

प्रथम किश्त की तारीख:

शाखा का नाम

एरिया

जोन

एरिया मार्क और रूट का मानचित्र

सदस्य 1:

नाम:

W/O:

KYC 1:

KYC 2:

खाता सं.

मोबाइल

ऋण धनराशि

ईएमआई धनराशि

हस्ताक्षर: *Digitally Signed by:*
Name:Ms. Aarti Devi
Date:Wed Jul 09 10:36:43 IST 2025